रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122021-231720
CG-DL-E-09122021-231720

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 637] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2021/अग्रहायण 17, 1943
No. 637] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2021/AGRAHAYANA 17, 1943

विदेश मंत्रालय

(नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2021

फा. सं. एस/321/25/2014 (अ).—नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (2010 का 39) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और नालंदा विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश, 2015 के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने के लिए लोप किया गया है, शासी बोर्ड, नालंदा विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अध्यादेश बनाता है, अर्थात्: -

अध्याय 1

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन अध्यादेशों का नाम नालंदा विश्वविद्यालय (शैक्षणिक) अध्यादेश, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा - (1) इन अध्यादेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से आशय नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (2010 का 39) है;

(ख) "प्रवेश" से आशय विश्वविद्यालय में किसी भी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अध्ययन में प्रवेश से है;

(ग) "प्रवेश समिति" से आशय संकाय सदस्यों वाली समिति से है जिसे विश्वविद्यालय के प्रवेश मामलों पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकारी द्वारा गठित किया गया है;

(घ) "प्राधिकारी" से आशय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति से है;

(ङ) "शोध अध्ययन बोर्ड" से आशय संकाय सदस्यों के समूह से है, जिसके अध्यक्ष संबंधित स्कूल ऑफ स्टडी के डीन या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति हैं, जिसे उस स्कूल ऑफ स्टडी के शोध कार्यकलापों की निगरानी के लिए प्राधिकारी द्वारा गठित किया गया है;

(च) "केंद्र" से आशय शोध पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए एक शोध केंद्र से है;

(छ) "सह-पर्यवेक्षक" से आशय पीएच.डी. सलाहकार समिति में किसी अन्य स्कूल से अंतःविषयक शोध में संकाय सदस्य से है, जो पर्यवेक्षक को सहायता प्रदान करते हैं या जो पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति में अध्येता की प्रशासनिक और शोध जिम्मेदारियों को पूरा करते है;

(ज) "समन्वयक" से आशय किसी ऐसे संकाय सदस्य से है जिन्हें अध्ययन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के समन्वय का प्रभार सौंपा गया है;

(झ) "डीन" से आशय अध्ययन के किसी स्कूल के डीन से है;

(ञ) "अनुशासनात्मक समिति" से आशय है नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्राधिकारी द्वारा गठित समिति;

(ट) "समतुल्यता" से आशय है प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अपेक्षित संख्या में क्रेडिट या ग्रेड को पूरा करने के संदर्भ में डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र की समतुल्यता;

(ठ) "बहिष्कार" से आशय है किसी सदस्य या छात्र को विश्वविद्यालय की सदस्यता या अध्ययन से स्थायी रूप से वंचित करना;

(ड) "उत्पीड़न" से आशय है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति अवांछित और अनुचित आचरण;

(ढ) "आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)" से आशय छेड़खानी या यौन उत्पीड़न के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकारी द्वारा गठित समिति से है;

(ण) "निषिद्ध करने" से आशय विश्वविद्यालय या इसके आवासों स्थलों तक पहुंचने के सभी अधिकारों को वापस लेना है;

(त) "पाठ्यक्रम" से आशय एक विशिष्ट डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए किसी पाठ्यक्रम से है;

(थ) "पीएचडी सलाहकार समिति" (पीएसी) - से आशय ऐसी समिति से है जिसमें पर्यवेक्षक, एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार (संकाय), देश से ही एक बाह्य विषय विशेषज्ञ और विश्वविद्यालय आधारित एक अंतःविषयक संकाय शामिल है;

(द) "निवास" से आशय है छात्रावास या अंतरराष्ट्रीय छात्रावास;

(ध) "निष्कासन" से आशय है इन अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की भूमि, भवनों और सुविधाओं तक पहुंच के अधिकार को वापस लेना;

(न) "स्कूल बोर्ड" से आशय एक ऐसे बोर्ड से है जिसमें डीन, वरिष्ठ संकाय सदस्य, एसोसिएट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर के स्तर के एक संकाय और प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुरूप अधिकतम तीन विशेषज्ञ शामिल हैं;

(प) "अध्येता" से आशय विश्वविद्यालय की ग्लोबल पीएचडी डिग्री प्रदान करने हेतु पूर्णकालिक या अंशकालिक शोध करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत किसी भी उम्मीदवार से है;

(फ) "पर्यवेक्षक" से आशय विश्वविद्यालय में पंजीकृत अध्येता का मार्गदर्शन करने के लिए विश्वविद्यालय के संकाय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संकाय दोनों देश के भीतर या विदेश के किसी मान्यता प्राप्त या प्रतिष्ठित संस्थान के संकाय से है;

(ब) "निलंबन" से आशय एक विशिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के अधिकार को वापस लेना है;

(भ) "शोध प्रबंध समिति विषय बचाव" से आशय किसी प्रार्थी के शोध प्रबंध समिति विषय बचाव के लिए प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से पर्यवेक्षक के सुझाव पर गठित एक समिति से है।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन जो अधिनियम और संविधि में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम और संविधियों में निर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय 2

प्रवेश

3. अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम, अवधि और क्रेडिट:- (1) विश्वविद्यालय निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाएगा, अर्थात्:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम/कार्यक्रम	अवधि	क्रेडिट
1	ग्लोबल पीएच.डी.	चार वर्ष	130
2	एमबीए	दो वर्ष	74
3	एमएससी	दो वर्ष	64
4	एमए	दो वर्ष	64
5	डिप्लोमा	छह से नौ महीने	32
6	प्रमाण-पत्र	तीन से छह महीने	16

(2) अध्ययन पाठ्यक्रम और (1) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों के अलावा, विश्वविद्यालय में अंत:विषयक क्लस्टर शोध सहित पोस्ट-डॉक्टरल शोध कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

(3) स्कूल/केंद्र, प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अवधि के लिए अल्पकालिक कार्यक्रम (एसटीपी) की योजना बना सकता है।

(4) प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम और कार्यक्रम में प्रवेश के न्यूनतम मानदंड एवं मानक और इनकी अवधि प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार होगी:

बशर्ते कि विश्वविद्यालय, यदि आवश्यक हो, समय-समय पर, प्राधिकारी के अनुमोदन से, कार्यक्रम के किसी भी पाठ्यक्रम के अध्ययन के संबंध में ऐसे किसी भी मानदंड या मानक और अवधि में छूट या रियायत दे सकता है।

(5) प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम और कार्यक्रम की पाठ्यचर्या और उसमें किसी भी बदलाव के लिए प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

(6) प्राधिकारी विश्वविद्यालय की मानद उपाधि के लिए प्रतिष्ठित एवं विशिष्ट नामों का अनुमोदन करेंगे।

(7) प्राधिकारी अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नए पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी देंगे और उनके पास नए पाठ्यक्रम शुरू करने या नए स्कूलों की सिफारिश करने की भी शक्ति होगी।

4. छात्रों को प्रवेश: - (1) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रम महिला-पुरुष, जाति, वर्ण, वर्ग, धर्म, पेशे या लिंग पर ध्यान दिए बिना सभी राष्ट्रीयताओं के लिए खुले होंगे।

(2) विश्वविद्यालय शिक्षण तथा शोध के उच्च मानकों के साथ अखिल भारतीय और वैश्विक प्रतिष्ठा बनाए रखेगा और विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर आयोजित प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से निर्धारित योग्यता के आधार पर ही छात्रों को प्रवेश देगा :

बशर्ते कि विश्वविद्यालय लिखित में दर्ज कारणों से किसी भी व्यक्ति को प्रवेश न देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(3) प्रत्येक स्कूल में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या प्राधिकारी के अनुमोदन से अध्ययन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

(4) किसी भी ऐसे छात्र का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आचार संहिता के उल्लंघन में किसी कार्य में लिप्त पाया जाता है या ऐसी कोई चूक करता है।

(5) प्राधिकारी के पास लिखित रूप में दर्ज वैध और ठोस कारणों से किसी भी अध्ययन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में प्रवेश को वापस लेने, स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

(6) किसी स्कूल में पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यताएं विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर प्रवेश समिति की सिफारिश के अनुसार निर्धारित की जाएंगी ।

(7) छात्रों को योग्यतानुसार विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा।

(8) केवल उन्हीं छात्रों, जिन्होंने निर्धारित देश में किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण की है, पर प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।

(9) विदेशी छात्रों के लिए ग्रेड के संबंध में समतुल्यता,जैसा भी मामला हो, प्रवेश/समतुल्यता समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी, और समतुल्यता समिति द्वारा स्थापित समकक्षता के अध्यधीन अधिकतम साठ दिनों की अवधि के लिए अनंतिम प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है।

(10) प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त विदेशी प्रार्थियों के आवेदनों पर प्रवेश समिति की सिफारिश के अनुसार विचार किया जाएगा।

(11) एक प्रार्थी को एक समय में दो से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(12) अनिवार्य प्रवासन प्रमाण-पत्र वाले भारतीय छात्र विश्वविद्यालय में किसी भी स्नातकोत्तर या शोध या किसी अन्य अध्ययन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

(13) (i) सभी प्रासंगिक मूल दस्तावेज प्रवेश के समय सत्यापन के लिए निर्दिष्ट तिथि तक जमा किए जाने चाहिए जो उचित सत्यापन के बाद वापस कर दिए जाएंगे।

(ii) किसी भी छात्र का प्रवेश, अनंतिम या अन्यथा, जो या तो उक्त निर्दिष्ट तिथि तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करता है या प्रवेश के लिए किसी अन्य निर्धारित आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहता है, प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है।

(14) किसी भी छात्र का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा यदि यह पाया जाता है कि छात्र ने प्रवेश लेते समय झूठी सूचना, दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं या किसी भी प्रासंगिक जानकारी या दस्तावेज को छुपाया था।

5. प्रवेश प्रक्रिया:- (1) डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र आदि के किसी भी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया इन अध्यादेशों में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार प्रवेश समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

(2) प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया कागज रहित और ऑनलाइन होगी।

6. प्रवेश के लिए पात्रता: - (1) कोई प्रार्थी प्रवेश के लिए पात्र होगा, यदि उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी दिए गए शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश संबंधी अधिसूचना में निर्दिष्ट प्रासंगिक डिग्री है।

(2) (i) गैर-अंग्रेजी भाषी देशों के विदेशी छात्रों को टीओईएफएल (विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी की परीक्षा) और आईईएलटीएस (अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा परीक्षा पद्धति) जैसा अंग्रेजी भाषा में दक्षता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(ii) पूरी तरह से अंग्रेजी में पढ़ाए जाने वाले और मूल्यांकन किए गए पूर्णकालिक डिग्री-स्तरीय पाठ्यक्रम वाले प्रार्थियों को कोई भी दक्षता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

7. शुल्क संरचना :- (1) छात्रावास शुल्क और भोजन शुल्क के साथ शैक्षणिक वर्ष के लिए शिक्षण शुल्क प्रत्येक प्रवेश प्रक्रिया के प्रारंभ में विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा।

(2) छात्र या तो खंड (1) में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान कार्यक्रम के अध्ययन के पूरे पाठ्यक्रम के लिए एक बार में कर सकते हैं या इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विकल्पों के अनुसार प्रत्येक सेमेस्टर में शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(3) विश्वविद्यालय के कार्यकारी निकाय के अनुमोदन से विश्वविद्यालय प्रत्येक तीन से पांच वर्षों में शुल्क में संशोधन करेगा।

(4) यह विश्वविद्यालय पूरी तरह से आवासीय विश्वविद्यालय है और किसी छात्र को सेमेस्टर की शुरुआत में विश्वविद्यालय की वेबसाइट में समय-समय पर निर्दिष्ट आवास, भोजन और अन्य सुविधाओं के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

(5) फीस का भुगतान करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश या पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

8. फीस भुगतान की पद्धति: - पद्धति का भुगतान या तो "नालंदा विश्वविद्यालय" के पक्ष में "राजगीर" में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर दिए गए विवरण का उपयोग करते हुए एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा।

9. फीस की वापसी :- (1) यदि कोई छात्र ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम या कार्यक्रम से अपना नाम वापस लेने का विकल्प चुनता है, जिसमें वह नामांकित है, ऐसे मामलों में प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रवेश समिति की सिफारिश के अनुसार फीस वापस की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में प्रतिदेय धनराशि से कुल फीस के दस प्रतिशत से अधिक की कटौती नहीं करेगा।

10. पंजीकरण:- (1) प्रत्येक छात्र, जिसे प्रवेश दिया गया है, प्रत्येक सेमेस्टर की शुरुआत में निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करेगा।

(2) छात्र निर्धारित फीस जमा करने के बाद क्रेडिट संरचना के अनुसार प्रत्येक सेमेस्टर में अपेक्षित संख्या में पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करने के हकदार होंगे।

(3) किसी भी छात्र को पंजीकरण किए बिना और निर्धारित फीस तथा अन्य सभी बकाया धनराशि का भुगतान किए बिना किसी पाठ्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) (i) जहां कोई छात्र बीमारी या अन्य किसी कारण से पंजीकरण करने में असमर्थ रहता है, वह अपनी अनुपस्थिति का कारण संबंधित कार्यक्रम समन्वयक या संबंधित स्कूल के डीन, जैसा भी मामला हो, और प्रवेश कार्यालय को समय से लिखित में सूचित करेगा।

(ii) विशेष मामलों में अनुपस्थिति पंजीकरण की अनुमति संबंधित स्कूल के डीन द्वारा दी जा सकती है ।

11. विलम्ब से पंजीकरण: - कक्षाओं के शुरू होने की तारीख से दो सप्ताह तक विलम्ब से पंजीकरण की अनुमति होगी और दो सप्ताह से अधिक विलंब से पंजीकरण के लिए संबंधित स्कूल के डीन के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

12. न्यूनतम क्रेडिट सीमा: - विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में निर्धारित क्रेडिट संरचना के अनुसार प्रत्येक सेमेस्टर में पंजीकृत होने के लिए न्यूनतम क्रेडिट की आवश्यकता होगी।

13. पाठ्यक्रम में जोड़ने, हटाने, ऑडिट या नाम वापिस लेना:- (1) किसी छात्र को पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार से जुड़ने, हटने, ऑडिट या नाम वापिस लेने के लिए संबंधित स्कूल के संबंधित कार्यक्रम समन्वयक या डीन को लिखित में आवेदन करना होगा।

(2) किसी छात्र के पास सेमेस्टर के शुरू होने के पहले दो सप्ताहों तक स्कूल के डीन या पाठ्यक्रम समन्वयक, जैसा भी मामला हो, की अनुमति से किसी भी पाठ्यक्रम में जुड़ने या हटने का विकल्प होगा।

(3) (i) कोई छात्र क्रेडिट कैफेटेरिया मॉडल के तहत अधिक वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के लिए, संरचना के अंतर्गत निर्दिष्टानुसार न्यूनतम संख्या से अधिक अतिरिक्त क्रेडिट होने पर पंजीकरण कर सकता है।

(ii) सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत या संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत की गणना के लिए अतिरिक्त क्रेडिट पाठ्यक्रम शामिल नहीं किए जाएंगे:

बशर्ते कि अतिरिक्त क्रेडिट का उल्लेख ग्रेड कार्ड में अलग से अर्जित अतिरिक्त क्रेडिट के रूप में किया जाएगा।

स्पष्टीकरण - कैफेटेरिया मॉडल के तहत प्रत्येक सेमेस्टर में छात्र अन्य स्कूलों द्वारा पेश किए गए पाठ्यक्रमों के व्यापक विषयों में से अपनी अभिरुचि के पाठ्यक्रम चुन सकते हैं।

(4) कोई छात्र किसी सेमेस्टर के शुरू होने से दो सप्ताह के भीतर संबंधित स्कूल के डीन या समन्वयक, जैसा भी मामला हो, को किसी क्रेडिट पाठ्यक्रम को ऑडिट पाठ्यक्रम में बदलने के लिए आवेदन कर सकता है।

(5) कोई छात्र किसी सेमेस्टर के शुरू होने से तीन सप्ताह के भीतर पाठ्यक्रम से नाम वापस लेने का विकल्प चुनता है तो उसे संबंधित स्कूल के डीन या समन्वयक, जैसा भी मामला हो, को लिखित में आवेदन करना होगा।

14. अनुपस्थिति के लिए अनुमति:- (1) विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में मूल्यांकन पचास प्रतिशत निरंतर मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा जिसमें मध्य सेमेस्टर की लिखित परीक्षाएं और अंतिम सेमेस्टर की लिखित परीक्षाओं का पचास प्रतिशत शामिल हैं।

(2) पंजीकृत छात्रों को सेमेस्टर के दौरान अनुपस्थिति की अनुमति नहीं होगी और सभी मामलों में न्यूनतम उपस्थिति पचहत्तर प्रतिशत होनी चाहिए:

बशर्ते कि वास्तविक कारणों से, किसी छात्र को इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति दी जा सकती है ।

(i) किसी सेमेस्टर के दौरान लगातार चार सप्ताह की अवधि की अनुपस्थिति के कारण उस सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों से छात्रों का पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा ।

अध्याय 3

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

15. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की 'पाठ्यचर्या: - (1) विश्वविद्यालय दो वर्ष के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पेशकश करेगा जिसमें, पहले वर्ष (प्रथम वर्ष) में फाउंडेशन ब्रिज कोर्स तथा दूसरे वर्ष में उन्नत और विशिष्ट पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष) शामिल होंगे और अंतिम सेमेस्टर में शोध आधारित शोध-निबंध अनिवार्य है।

(2) इन कार्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या स्कूल द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से तैयार किया जाएगा।

(3) प्रवेश के लिए मानदंड - (1) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपयुक्त मूल्यांकन के आधार पर स्नातकोत्तर कार्यक्रम उन सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा जो किसी भी विषय से स्नातक हैं ताकि भौगोलिक अवस्थिति, आयु, लिंग और संस्कृति के संबंध में विविधता को प्रोत्साहित किया जा सके।

(4) (क) भारतीय स्नातक छात्रों को प्रवेश परीक्षा अथवा साक्षात्कार और व्यक्तिगत विवरण के माध्यम से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा;

(ख) विदेशी छात्रों को साक्षात्कार या व्यक्तिगत विवरण और उनकी स्नातक शैक्षणिक प्रतिलिपि के माध्यम से स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा और गैर-अंग्रेजी भाषी देशों के विदेशी छात्रों के लिए टीओईएफएल या आईईएलटीएस स्कोर महत्वपूर्ण विचारणीय कारक होगा ।

(5) इस अध्यादेश के तहत किसी प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी प्रवेश निम्नलिखित पर आधारित होंगे -

(i) शैक्षणिक रिकॉर्ड;

(ii) प्रयोजन का विवरण; तथा

(iii) विदेशी छात्रों के लिए सिफारिश पत्र।

बशर्ते कि न्यूनतम मानदंड होना ही प्रवेश की गारंटी नहीं है और इस संबंध में प्रवेश समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

16. एमए और एमएससी की क्रेडिट संरचना:- (1) विश्वविद्यालय द्वारा कोई मास्टर डिग्री प्रदान करने के लिए किसी छात्र को नीचे दी गई तालिका -1 के अनुसार 64 क्रेडिट प्राप्त करने की आवश्यकता होगी अर्थात्: -

(i) पहले वर्ष में 32 क्रेडिट (प्रथम वर्ष) और

(ii) अंतिम वर्ष में 32 क्रेडिट (द्वितीय वर्ष)।

(2) मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम के छात्रों को प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम 16 क्रेडिट पूरे करने अपेक्षित होंगे और एक शैक्षणिक वर्ष में 16 सप्ताह की कक्षा वाले कम से कम 18 सप्ताह के दो शैक्षणिक सेमेस्टर होंगे ।

तालिका-0I

एमए/एमएससी.= 64 क्रेडिट

पहला वर्ष	अंतिम वर्ष
क. सेमेस्टर- I (फाउंडेशन पाठ्यक्रम): 16 क्रेडिट	ग. सेमेस्टर- III (उन्नत पाठ्यक्रम): 16 क्रेडिट
(i) 4 मुख्य पाठ्यक्रम (प्रत्येक में 3 क्रेडिट)	(i) 2 मुख्य पाठ्यक्रम (प्रत्येक में 3 क्रेडिट)
(ii) 1 वैकल्पिक पाठ्यक्रम (3 क्रेडिट)	(ii) 3 वैकल्पिक पाठ्यक्रम (प्रत्येक में 3 क्रेडिट)

(iii) 1 संगोष्ठी (1 क्रेडिट)	(iii) 1 संगोष्ठी (1 क्रेडिट)
ख सेमेस्टर-द्वितीय (ब्रिज पाठ्यक्रम): 16 क्रेडिट (i) 3 मुख्य पाठ्यक्रम (प्रत्येक में 3 क्रेडिट) (ii) 2 वैकल्पिक पाठ्यक्रम (प्रत्येक में 3 क्रेडिट) (iii) 1 संगोष्ठी (1 क्रेडिट)	घ सेमेस्टर- IV (विशिष्ट पाठ्यक्रम): 16 क्रेडिट (i) 1 मुख्य पाठ्यक्रम (3 क्रेडिट) (ii) 1 वैकल्पिक पाठ्यक्रम (3 क्रेडिट) (iii) 1 संगोष्ठी (1 क्रेडिट) (iv) शोध निबंध (9 क्रेडिट)

17. एमबीए की क्रेडिट संरचना: - (1) विश्वविद्यालय सतत विकास और प्रबंधन में 74 क्रेडिट वाले एमबीए पाठ्यक्रम की पेशकश करेगा जो अंशकालिक या ऑनलाइन आधार पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और कामकाजी व्यवसायिकों दोनों के लिए खुले होंगे ; विश्वविद्यालय समय-समय पर समीक्षा कर सकता है और अंतरराष्ट्रीय आधार पर नए मॉडल तैयार कर सकता है।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा एमबीए डिग्री प्रदान करने के लिए किसी छात्र को पूर्ण एमबीए डिग्री के लिए 74 क्रेडिट प्राप्त करने की आवश्यकता होगी और एक वर्ष के बाद नीचे दी गई तालिका -2 के अनुसार 38 क्रेडिट स्कोर के साथ एक डिप्लोमा के साथ वह पाठ्यक्रम छोड़ सकता है अर्थात्:

(i) ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षुता के लिए 2 क्रेडिट सहित पहले वर्ष (प्रथम वर्ष) में 38 क्रेडिट ; तथा

(ii) अंतिम वर्ष (द्वितीय वर्ष) में 36 क्रेडिट।

(3) एमबीए के छात्रों को ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के 2 क्रेडिट के अलावा प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम 18 क्रेडिट पूरा करने की आवश्यकता होगी और एक शैक्षणिक वर्ष में 16 सप्ताह की कक्षा वाले कम से कम 18 सप्ताह के दो शैक्षणिक सेमेस्टर होंगे ।

तालिका - 2

(एमबीए: 72 क्रेडिट + 2 क्रेडिट (ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप) = 74 क्रेडिट)

क. सेमेस्टर-I: 18 क्रेडिट (i) 5 मुख्य पाठ्यक्रम (प्रत्येक में 3 क्रेडिट) (ii) 1 मुख्य पाठ्यक्रम (2 क्रेडिट) (iii) संगोष्ठी (1 क्रेडिट)	ख. सेमेस्टर-II: 18 क्रेडिट (i) 5 मुख्य पाठ्यक्रम (प्रत्येक में 3 क्रेडिट) (ii) 1 मुख्य पाठ्यक्रम (2 क्रेडिट) (iii) संगोष्ठी (1 क्रेडिट)
ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप (6-8 सप्ताह): 2 क्रेडिट एक वर्ष के बाद डिप्लोमा के साथ पाठ्यक्रम से बाहर हो सकते हैं।	
ग. सेमेस्टर- III: 18 क्रेडिट (i) 2 मुख्य पाठ्यक्रम (प्रत्येक में 3 क्रेडिट) (ii) 4 वैकल्पिक (प्रत्येक में 3 क्रेडिट)	घ. सेमेस्टर- IV (विशिष्ट पाठ्यक्रम): 18 क्रेडिट (i) कॉर्पोरेट अनुभव (10 क्रेडिट) (ii) मोनोग्राफ (8 क्रेडिट) या (iii) शोध निबंध (10 क्रेडिट) (iv) शोध (8 क्रेडिट)

18. सामान्य: - (1) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के सभी छात्रों के लिए संगोष्ठी अनिवार्य होगी जिसमें न केवल शोध-पेपर की प्रस्तुति शामिल है, बल्कि अन्य प्रस्तुतकर्ताओं की समीक्षा और आलोचनात्मक विवेचना भी शामिल है और अनिवार्य संगोष्ठियों द्वारा प्रत्येक छात्र से कम से कम एक शोध प्रकाशन की अपेक्षा होगी।

(2) स्वतंत्र शोध में एक बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने और पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण घटक होने के कारण स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के सभी छात्रों को कम से कम एक शोध प्रकाशन के साथ शोध निबंध प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(3) गर्मी और सर्दी की छुट्टियों के दौरान प्राधिकारी की सहमति से इंटर्नशिप को (एमबीए पाठ्यक्रम के अलावा) प्रोत्साहित किया जाएगा।

19. संकाय सलाहकार/मेंटर:- (1) प्रत्येक छात्र के लिए स्कूलों के संकाय सदस्यों में से कोई एक संकाय सलाहकार होगा ।

(2) पाठ्यक्रमों का चयन करते समय प्रत्येक छात्र, कुल क्रेडिट की न्यूनतम या अधिकतम संख्या, पिछले निष्पादन, पाठ्यक्रमों के बैकलॉग, सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए) या संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) या अंतिम ग्रेड प्वाइंट औसत (एफजीपीए), कार्य भार और अपनी रुचियों को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक कार्यक्रम में पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए अपने संकाय सलाहकार से परामर्श कर सकते हैं।

20. परीक्षा और मूल्यांकन: - (1) प्रत्येक पाठ्यक्रम में किसी छात्र के मूल्यांकन का कम से कम 50 प्रतिशत अंतिम सेमेस्टर की औपचारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा के साथ या बिना मौखिक परीक्षा (बाहरी मूल्यांकनकर्ता के साथ या इसके बिना) शामिल है।

(2) अन्य पचास प्रतिशत मूल्यांकन योजना में मध्यावधि औपचारिक लिखित परीक्षा के माध्यम से बीस प्रतिशत मूल्यांकन और असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के माध्यम से बीस प्रतिशत और सतत मूल्यांकन का दस प्रतिशत होगा ।

21. शिक्षण कैलेंडर: - (1) किसी अकादमिक वर्ष में प्रति सेमेस्टर 16 सप्ताह की कक्षा वाले कम से कम 18 सप्ताह के दो शैक्षणिक सेमेस्टर होंगे।

(2) मध्य सेमेस्टर की लिखित परीक्षाओं से पहले एक सप्ताह का अंतराल और अंतिम सेमेस्टर की लिखित परीक्षाओं से पहले एक सप्ताह का अंतराल के साथ दो सप्ताह का तैयारी अवकाश दिए जाने की परिकल्पना की जाएगी ।

(3) सभी संकाय सदस्यों को छात्रों के तैयारी अवकाश के दौरान परिसर में उपलब्ध होना आवश्यक होगा ताकि छात्रों को किसी भी संदेह या स्पष्टीकरण या अतिरिक्त शिक्षण आदि के संबंध में उन्हें सुविधा प्रदान की जा सके।

अध्याय 4

डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र

22. प्रारंभ: - डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए अध्ययन के सभी कार्यक्रम और पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के स्कूलों या केंद्रों द्वारा प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन समय-समय पर संचालित किए जाएंगे।

23. डिप्लोमा: - (1) डिप्लोमा कार्यक्रम में बत्तीस क्रेडिट शामिल होंगे जिन्हें पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान पूरा किया जाना है।

(2) डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया और न्यूनतम योग्यता स्कूल या केंद्र द्वारा प्राधिकारी के अनुमोदन से तय की जाएगी और विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर प्रकाशित की जाएगी ।

(3) किसी डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या स्कूल या केंद्र द्वारा प्राधिकारी के अनुमोदन से तैयार किया जाएगा ।

24. प्रमाण-पत्र कार्यक्रम: - (1) प्रमाण-पत्र कार्यक्रम में पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान पूरे किए जाने वाले 16 क्रेडिट शामिल होंगे ।

(2) प्रमाण-पत्र कार्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया और न्यूनतम योग्यता स्कूल या केंद्र द्वारा प्राधिकारी के अनुमोदन से तय की जाएगी और विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर प्रकाशित की जाएगी ।

(3) प्रमाण-पत्र कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या स्कूल या केंद्र द्वारा प्राधिकारी के अनुमोदन से तैयार किया जाएगा ।

25. डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों की अवधि:- विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों के तहत प्रदान किए जाने वाले सभी कार्यक्रम और अध्ययन पाठ्यक्रम प्राधिकारी के अनुमोदन से इस संबंध में बनाए गए पाठ्यक्रम के डिजाइन के अनुसार निर्धारित अवधि पर आधारित होंगे।

स्पष्टीकरण:- शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि डिप्लोमा छह से नौ माह की अवधि का होगा और प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम तीन से छह माह की अवधि का होगा।

26. उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट:- डिप्लोमा लेने के लिए, छात्र को बत्तीस क्रेडिट प्राप्त करने होगी और प्रमाण-पत्र लेने के लिए, छात्र को सोलह क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

27. सौंपा गया कार्यक्रम:- डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र कार्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद और प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में, छात्र को उन पाठ्यक्रमों में पंजीकरण करना होगा जिसमें वह निर्धारित सेमेस्टर के दौरान अध्ययन करना चाहता है और छात्र को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र कार्यक्रम में प्रवेश के बाद कार्यक्रम बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

28. प्रवेश:- (1) डिप्लोमा एवं प्रमाण-पत्र कार्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर जारी की जाने वाली प्रवेश सूचना के अनुसार दिया जायेगा।

(2) छात्र को कार्यक्रम की प्रकृति के अनुसार प्रवेश सूचना में निर्धारित मानदंड के अनुसार औपचारिक आवेदन करना होगा।

(3) सभी मामलों में छात्रों द्वारा कम से कम पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

29. फीस: - (1) डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र कार्यक्रम के लिए लागू ट्यूशन फीस और अन्य शुल्क, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक प्रवेश चक्र के प्रारंभ में विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर दर्शाए जाएंगे।

(2) डिप्लोमा छात्र इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त आवास और भोजन शुल्क के भुगतान पर आवास के हकदार होंगे।

(3) प्रमाण-पत्र कार्यक्रम के छात्रों को आवास प्रदान नहीं किया जाएगा।

30. सामान्य:- (1) डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र कार्यक्रम में दाखिला लेने वाले छात्र पर अन्य कार्यक्रमों पर लागू होने वाले नियमों के समान ही विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे।

(2) डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र कार्यक्रम संबंधी पाठ्यक्रम कक्षाओं या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से संचालित किए जा सकते हैं।

अध्याय 5

पूर्णकालिक और अंशकालिक ग्लोबल पीएच.डी. कार्यक्रम

31. सामान्य: - (1) ग्लोबल पीएच.डी. कार्यक्रम की अवधि चार साल की होगी जिसे आठ सेमेस्टर में विभाजित किया जाएगा और आपको कम से कम चौथे सेमेस्टर के पूरा होने के बाद अपनी थीसिस जमा करनी होगी और इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा समय आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और अतिरिक्त समय या अतिरिक्त सेमेस्टर पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) ग्लोबल पीएच.डी. कार्यक्रम पूर्णतः आवासीय कार्यक्रम होगा।

(3) पूर्णकालिक और अंशकालिक ग्लोबल पीएच.डी. दोनों कार्यक्रमों के लिए फीस समान होगी और प्रत्येक प्रवेश चक्र के प्रारंभ में इसे विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर डाला जाएगा।

(4) शोध के क्षेत्र विश्वविद्यालय के उद्देश्यों और अधिदेशों के अनुसार होंगे ताकि शोध या भारतीय ज्ञान परंपराओं के उभरते हुए क्षेत्रों में नए ज्ञान का सृजन किया जा सके।

32. न्यूनतम पात्रता आवश्यकताएँ: - (1) (क) पूर्णकालिक ग्लोबल पीएच.डी. कार्यक्रम - भारतीय और विदेशी दोनों अभ्यर्थियों के लिए पूर्णकालिक ग्लोबल पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकताएँ निम्नानुसार होंगी, अर्थात -

(i) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों छात्रों के लिए कम से कम 65% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या 10 प्वाइंट स्केल में 6.5 के समकक्ष ग्रेड प्वाइंट एवरेज (जीपीए) और स्नातकोत्तर स्तर या एम.फिल डिग्री स्तर पर शोध-प्रबंध वांछनीय होगा;

(ii) बिंदु सं. (i) को पूरा करने के अध्यधीन, अपने परिचय के रूप में एक संक्षिप्त जीवनवृत्तांत;

(iii) अनुशंसा पत्र/संदर्भ;

(iv) व्यक्तिगत विवरण (अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय में ग्लोबल पीएचडी कार्यक्रम को चुनने का कारण स्पष्ट रूप से बताना चाहिए);

(v) साहित्यिक चोरी की जांच के अध्यधीन, एक विस्तृत शोध प्रस्ताव;

(vi) शोध या प्रकाशित दस्तावेजों के न्यूनतम दो लेखन नमूनों का साक्ष्य;

(vii) विदेशी अभ्यर्थियों को टीओईएफएल (विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी की परीक्षा) या आईईएलटीएस (अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी भाषा परीक्षण प्रणाली) या किसी अन्य मानक अंग्रेजी परीक्षा जैसे भाषा प्रवीणता प्रमाण-पत्र जमा करने होंगे:

बशर्ते कि अंग्रेजी में शिक्षा के माध्यम के साथ पूर्णकालिक डिग्री स्तर का पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को अंग्रेजी प्रवीणता प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) अंशकालिक ग्लोबल पीएच.डी. कार्यक्रम: - (क) भारतीय और विदेशी दोनों अभ्यर्थियों के लिए अंशकालिक ग्लोबल पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकताएँ निम्नानुसार होंगी, अर्थात : -

(i) न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष ग्रेड प्वाइंट औसत (जीपीए);

(ii) कामकाजी पेशेवरों के पास कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।

(iii) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन को नियोक्ता से, यदि वह वर्तमान में कार्यरत है, एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ उचित माध्यम से अग्रेषित करना होगा,

(ख) पूर्णकालिक ग्लोबल पीएचडी कार्यक्रम के संबंध में खंड (क) में निर्दिष्ट अन्य सभी आवश्यकताएं, आवश्यक परिवर्तनों सहित, अंशकालिक ग्लोबल पीएच.डी. कार्यक्रम पर लागू होंगी।

बशर्ते कि अंशकालिक ग्लोबल पीएच.डी. कार्यक्रम नियमित छात्र के लिए उपलब्ध नहीं होगा और अंशकालिक ग्लोबल पीएच.डी. कार्यक्रम केवल कामकाजी पेशेवरोंया सेवानिवृत्त व्यक्तियों या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जिसने चालीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और वह अनुसंधान में गहरी दिलचस्पी रखता हो।

(ग) प्राधिकारी के पास किसी भी पात्रता संबंधी आवश्यकता या मानदंड में छूट देने का अधिकार सुरक्षित होगा ताकि विश्वविद्यालय में अंशकालिक ग्लोबल पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों या विशिष्ट व्यक्तियों को उनकी रुचि की अभिव्यक्ति के आधार पर प्रवेश दिया जा सके या आमंत्रित किया जा सके और ऐसे मामलों में उन्हें आवास के मानदंडों में छूट दी जा सके।

(घ) प्रतिष्ठित व्यक्ति से रुचि की अभिव्यक्ति के मामले में, प्राधिकारी पहले सेमेस्टर के पाठ्यक्रम संबंधी कार्य और परीक्षा में छूट दे सकता है;

बशर्ते कि व्यक्ति को शोध पर्यवेक्षक द्वारा विधिवत मूल्यांकन किए गए नियमित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य या परीक्षा के बदले दो सत्रीय कार्य प्रस्तुत करने होंगे।

(ड.) अंशकालिक ग्लोबल पीएच.डी. अभ्यर्थी को चौथे सेमेस्टर के अंत तक पूरा शोध कार्य प्रस्तुत करना होगा और अपना शोध कार्य शीघ्र जमा करने के मामले में, इस संबंध में प्राधिकारी की अनुमति लेनी होगी।

33. ग्लोबल पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अध्येताओं के चयन के लिए मानदंड:- (1) विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम कट-ऑफ क्रेडिट के आधार पर, अभ्यर्थियों को, कुल सीटों की संख्या के अधिकतम पांच गुना के बराबर, विश्वविद्यालय द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

(2) प्राधिकारी के पास व्यक्तिगत विवरण (एसओपी) की मेरिट के आधार पर किसी अभ्यर्थी को अस्वीकार या अयोग्य घोषित करने का अधिकार होगा।

(3) बिन्दु सं (2) पर पूर्वाग्रह बनाए बिना, छात्र की ओर से विश्वविद्यालय में अध्ययन या कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय की किसी आचार संहिता के उल्लंघन या नियमों या शर्तों के किसी भी अन्य उल्लंघन का कोई मामला सामने आने पर प्राधिकारी को अपने किसी भी वर्तमान या पूर्व छात्र के आवेदन को अस्वीकार करने का भी अधिकार होगा।

(4) शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को प्रवेश समिति की सिफारिश पर स्कूल बोर्ड द्वारा आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

(5) साक्षात्कार स्काइप या टेलीकॉम के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से, जैसा भी मामला हो, किया जा सकता है।

(6) कुलपति का नामित व्यक्ति साक्षात्कार समिति का सदस्य होगा।

(7) प्रवेश समिति का नामित व्यक्ति साक्षात्कार समिति का सदस्य होगा।

(8) किसी स्कूल या पाठ्यक्रम के ग्लोबल पीएचडी कार्यक्रम के लिए अधिकतम नामांकन संकाय की संख्या पर आधारित होगा जो इस शर्त के अध्यधीन होगा कि वरिष्ठ संकाय में एक समय में चार से अधिक पंजीकृत अभ्यर्थी नहीं होंगे और कनिष्ठ संकाय में एक समय में दो से अधिक पंजीकृत अभ्यर्थी नहीं होंगे।

(9) विश्वविद्यालय के पास अपने निर्धारित मानदंडों के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश देने या न देने का अधिकार सुरक्षित होगा।

34. अध्येतावृत्ति: -(1) पूर्णकालिक ग्लोबल पीएच.डी. कार्यक्रम में नामांकित भारतीय और विदेशी दोनों छात्रों को विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंडों के अनुसार अध्येतावृत्ति प्रदान की जाएगी :

बशर्ते कि अंशकालिक ग्लोबल पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्र ऐसी किसी अध्येतावृत्ति का का हकदार नहीं होगा।

(2) अध्येतावृत्ति लेने वाले सभी छात्रों को निवास और मेस शुल्क स्वयं वहन करना होगा।

(3) विदेशी छात्र विश्वविद्यालय के माध्यम से आईसीसीआर, बिम्सटेक, आसियान या एनयू-भूटान अध्येतावृत्ति, जैसा भी मामला हो, के लिए आवेदन कर सकते हैं।

35. ग्लोबल पीएचडी के लिए क्रेडिट आवश्यकताएं:- (1) ग्लोबल पीएचडी डिग्री लेने के लिए शोध कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने हेतु, अध्येता को निम्नलिखित प्रकार से कुल 130 क्रेडिट जमा करने होंगे, अर्थात:

(i) पाठ्यक्रम संबंधी कार्य: 32 क्रेडिट (प्रथम सेमेस्टर);

(ii) शोध प्रबंध: 60 क्रेडिट;

(iii) अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर; सम्मेलनों अथवा मंचों पर

प्रकाशन या प्रेजेंटेशन; 08 क्रेडिट;

(iv) प्रस्तुत करने से पहले संगोष्ठी प्रेजेंटेशन: 10 क्रेडिट;

(v) मौखिक परीक्ष: 20 क्रेडिट

(2) अध्येता को अतिरिक्त क्रेडिट जमा करने होंगे और प्रतिलेख में ऐसे अतिरिक्त क्रेडिट को दर्शाया जाएगा।

36. प्रकाशित कार्य के लिए क्रेडिट की गणना: - (1) ग्लोबल पीएचडी कार्यक्रम के लिए प्रकाशित कार्य या सम्मेलन के प्रेजेंटेशन आदि हेतु क्रेडिट की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी, अर्थात : -

(i) राष्ट्रीय संगोष्ठियों या सम्मेलनों या कार्यशालाओं आदि में प्रस्तुत किए गए प्रत्येक शोध पेपर के लिए एक क्रेडिट;

(ii) अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों सम्मेलनों या कार्यशालाओं में प्रस्तुत किए गए प्रत्येक शोध पेपर के लिए दो क्रेडिट;

(iii) आईएसबीएन या आईएसएसएन नंबर के साथ अनुमोदित संदर्भित राष्ट्रीय शोध- पत्रिकाओं के लिए दो क्रेडिट ;

(iv) आईएसबीएन या आईएसएसएन नंबर के साथ अनुमोदित संदर्भित अंतरराष्ट्रीय शोध-पत्रिकाओं के लिए दो क्रेडिट ;

(2) बिन्दु सं. (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, प्रकाशन और प्रेजेंटेशन के लिए अधिकतम आठ क्रेडिट दिए जाएंगे।

37. पूर्णकालिक ग्लोबल पीएच.डी. अध्येता का पंजीकरण रद्द करना: - (1) एक पूर्णकालिक ग्लोबल पीएच.डी. अध्येता के पंजीकरण को ग्लोबल पीएचडी कार्यक्रम की संपूर्ण अवधि के दौरान व्यक्तिगत आधार पर अधिकतम एक सेमेस्टर के लिए रद्द करने की अनुमति होगी।

बशर्ते कि पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही पंजीकरण रद्द करने की अनुमति होगी :

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि आठवें सेमेस्टर में कोई पंजीकरण रद्द करने की अनुमति नहीं होगी।

(2) पंजीकरण रद्द करने की अवधि के दौरान, अध्येता अध्येतावृत्ति या छात्रवृत्ति और छात्रावास के हकदार नहीं होंगे।

38. रिहायशी आवश्यकता:- (1) पूर्णकालिक ग्लोबल पीएच.डी. अध्येताओं को ग्लोबल पीएचडी कार्यक्रम की संपूर्ण अवधि में परिसर स्थित आवास में रहना होगा और इसमें न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(2) किसी भी अध्येता के किसी भी कार्य या रोजगार में लिप्त पाए जाने या विश्वविद्यालय के किसी नियम का उल्लंघन करने या सोशल मीडिया सहित मीडिया पर किसी भी गतिविधि में शामिल होने या विश्वविद्यालय के हित के विरूद्ध किसी भी कार्य में संलिप्त होने पर उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

39. पर्यवेक्षक और सह-पर्यवेक्षक:- (1) संबंधित स्कूल बोर्ड प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रत्येक अध्येता के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा।

(2) पर्यवेक्षक को संबंधित डोमेन में देश या विदेश स्थित विभाग या केंद्र या स्कूल या संस्थान के सदस्यों में से चुना जा सकता है।

(3) समय-समय पर सूचीबद्ध राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संकाय सूची स्कूलों द्वारा बाह्य पर्यवेक्षक के अनुमोदन के लिए प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(4) बाह्य पर्यवेक्षक के पद पर विचार किए जाने के लिए बाह्य संकाय के करार में बाह्य पर्यवेक्षक लिखित सहमति अनिवार्य होगी।

(5) बाहय पर्यवेक्षक को प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार उचित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

(6) पर्यवेक्षक के बाह्य, भारतीय या विदेशी होने की स्थित में, जैसा भी मामला हो, सह-पर्यवेक्षक स्कूलों से होगा।

(7) प्राधिकारी के अनुमोदन से, यदि आवश्यक हो, तो देश या विदेश में संबंधित अंतर-विषयक विभाग या केंद्र या स्कूल या किसी अन्य विश्वविद्यालय से अधिकतम दो सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं।

40. सलाहकार समिति:- सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् -

(i) पर्यवेक्षक;

(ii) अंतरराष्ट्रीय सलाहकार (संकाय);

(iii) देश के भीतर से ही एक बाह्य सदस्य जो विषय विशेषज्ञ हो, और;

(iv) विश्वविद्यालय से एक अंतः विषयक संकाय।

41. पाठ्यक्रम कार्य के लिए क्रेडिट संरचना: वैश्विक पीएच.डी. शोध कार्य के निम्नलिखित दो भाग होंगे, अर्थातः

(क) भाग 1 - (i) इस भाग के अंतर्गत पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों को पाठ्यक्रम कार्य के रूप में पढ़ाया जाएगा, जो पूरे सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे और उसके लिए कुल क्रेडिट 32 होगा जिसमें से एक शोध पद्धति पर अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम और स्कूल द्वारा यथा निर्धारित विशिष्ट क्षेत्रों पर अग्रिम शोध पर 2 पाठ्यक्रम होंगे और 1 सेमेस्टर निम्नानुसार होगाः-

(क) शोध पद्धति पर अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाने वाला एक पाठ्यक्रम (10 क्रेडिट)

(ख) स्कूल द्वारा यथा निर्धारित विशिष्ट क्षेत्रों पर अग्रिम शोध पर पढ़ाए गए दो पाठ्यक्रम (16 क्रेडिट8+8)

(ग) प्रथम सेमेस्टर (4क्रेडिट)

(घ) आवधिक परीक्षा (2 क्रेडिट)

(ii) पहला सेमेस्टर, सेमेस्टर की अंतिम लिखित परीक्षा के साथ पूरा होगा।

(iii) दूसरे सेमेस्टर के लिए पाठ्यक्रम कार्य का मूल्यांकन पाठ्यक्रम अनुदेशक को प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रस्तुत किए जाने वाले आवधिक परीक्षा पर आधारित होगा और दूसरे सेमेस्टर के पूरा होने से पहले सभी पाठ्यक्रम और आवधिक परीक्षा अवश्य पूर्ण होनी चाहिए।

(iv) सभी आवधिक परीक्षा का मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुमोदन से यथा निर्धारित अनुदेशक और आंतरिक परीक्षक द्वारा किया जाएगा। अनुमोदित अनुसार आंतरिक परीक्षक आवधिक परीक्षा का भी मूल्यांकन करेगा।

(v) पीएच. डी. शोध प्रबंध के लिए विश्वविद्यालय के अधिदेश को ध्यान में रखते हुए स्कूल के विभिन्न विषयों में शोध के अज्ञात या नए उभरते क्षेत्रों की पहचान करना स्कूल की जिम्मेदारी होगी।

(vi) प्राधिकारी के अनुमोदन से डीन पीएच. डी. शोध के विषय में परिवर्तन कर सकता है।

(vii) पहले सेमेस्टर में चार पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त, अध्येता को दूसरे सेमेस्टर के अंत में आवधिक परीक्षा के साथ एक विस्तृत शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(viii) (क) दूसरे सेमेस्टर के दौरान, अध्येता एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगा और उसे डीन को प्रस्तुत करेगा।

(ख) प्रस्ताव में शोध के विषय में मौजूदा साहित्य के अवलोकन के साथ-साथ एक परिकल्पना, शोध योजना, ग्रंथ सूची और एक विस्तृत अध्यायबद्ध शोध प्रस्ताव प्रतिबिंबित होने चाहिए।

(ग) अध्येता को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व दूसरे सेमेस्टर के अंत में अपने शोध प्रस्ताव की खुली प्रस्तुति देनी होगी।

(घ) डीन या पीएच.डी. सलाहकार समिति, जैसा भी मामला हो, प्रस्ताव स्वीकृत होने पर अध्येता को शोध प्रबंध लिखना शुरू करने की औपचारिक अनुमति देगा।

(ङ) इस खंड के तहत संपूर्ण प्रक्रिया दूसरे सेमेस्टर के अंत तक पूरी की जानी होगी।

(ix) यदि प्रस्ताव की अनुशंसा नहीं की गई है तो अध्येता को प्रस्ताव संशोधित करने और पुनः प्रस्तुत करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।

(x) (i) पर्यावेक्षक का आवंटन दूसरे सेमेस्टर के अंत तक प्राधिकारी के अनुमोदन से स्कूल द्वारा किया जाएगा।

(ख) भाग – 2 (1) वैश्विक पीएच. डी कार्यक्रम के इस भाग में शोध प्रबंध लेखन शामिल होगा और अध्यादेश 31 में यथा संदर्भित विनिर्दिष्ट समयावधि के पूरा होने पर इसे जमा करना होगा।

(2) विद्वानों को स्कूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी और फेलोशिप की पात्रता पचहत्तर प्रतिशित उपस्थिति पर दर्ज होगी।

(3) विद्वानों द्वारा अपने संबंधित पर्यवेक्षकों को प्रस्तुत करने में आवधिक प्रगति रिपोर्ट की आवश्यकता होगी।

42. प्रगति रिपोर्टः- (1) विश्वविद्यालय में वैश्विक पीएच. डी कार्यक्रम में पंजीकृत सभी विद्वानों से पूर्ण अवधि के दौरान प्रगति का संतोषजनक स्तर बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।

(2) सभी विद्वानों को पूर्ण अवधि के दौरान, उपस्थिति रजिस्टर या बायो-मीट्रिक प्रणाली, जैसी भी स्थिति हो, में हस्ताक्षर करके अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।

(3) प्रत्येक अध्येता सक्रिय पंजीकरण की पूर्ण अवधि के दौरान पीएच. डी सलाहकार समिति को पर्यवेक्षक द्वारा पृष्ठांकित एक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(4) (i) पीएच. डी सलाहकार समिति पर्यवेक्षक के साथ शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन करते हुए, विद्वानों द्वारा की गई संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित करने हेतु प्रगति रिपोर्ट की जाँच करेंगे।

(ii) यदि रिपोर्ट संतोषजनक है तो संबंधित अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष से संबंधित स्कूल बोर्ड के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित करेंगे।

(iii) यदि समिति यह महसूस करती है कि प्रगति संतोषजनक नहीं है तो विद्वानों को लिखित में सूचित किया जाएगा।

(iv) लगातार दो असंतोषजनक रिपोर्ट के परिणामस्वरूप फेलोशिप को तत्काल और स्वतः रोक दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा और अन्य दंडात्मक उपायों को कार्यान्वित किया जाएगा अध्ययन बोर्ड और स्कूल बोर्ड द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर पंजीकरण रद्द करने के साथ-साथ अन्य दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।

43. योजना का मूल्यांकनः- इन अध्यादेशों के अनुसार पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन 10 प्वाइंट ग्रेडिंग स्केल पर किया जाएगा।

44. छुट्टी का प्रावधानः- एक पूर्णकालिक वैश्विक पीएच. डी अध्येता एक सेमेस्टर में अधिकतम सात दिनों के लिए आकस्मिक या चिकित्सा आधार पर छुट्टी का हकदार होगा।

45. फील्ड वर्क (क्षेत्र कार्य):- (i) एक सेमेस्टर में क्षेत्र कार्य के लिए पूर्णकालिक वैश्विक पीएच. डी अध्येता को शोध कार्य के आधार पर अधिकतम एक सप्ताह के लिए छुट्टी दी जाएगी और अध्येता द्वारा डीन की सिफारिश के साथ क्षेत्र कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) क्षेत्र कार्य के पूरा होने पर अध्येता द्वारा क्षेत्र कार्य पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

46. पर्यवेक्षक की मान्यता और आवंटनः- (1) संकाय सदस्यों की वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर समय-समय पर प्राधिकरण के अनुमोदन से पर्यवेक्षण के लिए विद्वानों की न्यूनतम संख्या निर्दिष्ट की जाएगी।

(2) किसी संकाय द्वारा इस तरह के पर्यवेक्षण के लिए पात्र होने के लिए यह आवश्यक होगा कि उन्होंने समान रूप से न्यूनतम पाँच राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रमुख प्रकाशनों में पत्रिकाओं की समीक्षा की हो।

(3) यदि कोई संकाय सदस्य, जो पर्यवेक्षक है, कार्यकाल की समाप्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी और मृत्यु आदि की के कारण विश्वविद्यालय का सदस्य नहीं रहता है तो स्कूल के डीन, पीएच. डी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर उस संकाय सदस्य को सौंपे गए विद्वानों को प्राधिकरण के अनुमोदन से किसी अन्य पर्यवेक्षक को आवंटित करेगा।

(4) (i) यदि कोई संकाय सदस्य, जो पर्यवेक्षक है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो वह आवंटित अध्येताओं का काम पूरा होने तक उनका मार्गदर्शन करना जारी रख सकता है, बशर्ते कि उन्होंने अपना शोध कार्य पूरा कर लिया हो।

(ii) सेवानिवृत्त होने वाले संकाय सदस्यों की सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पहले कोई नया अध्येता आवंटित नहीं किया जाएगा।

(5) (i) किसी भी संकाय के पास किसी भी समय चार से अधिक अध्येता नहीं होंगे, ताकि शोध और परिणाम की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके।

(ii) सह-पर्यवेक्षक किसी भी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय या भारत के किसी भी संस्थान सहित विश्वविद्यालय के भीतर एक अंतर्विषयक संकाय से होंगे।

47. शोध पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षाएं.- (1) सभी अध्येता शोध पत्र प्रस्तुत करने से तीन महीने पूर्व अथवा सातवें सेमेस्टर के अंत में, जैसा भी मामला हो प्रस्तुतीकरण से पूर्व संगोष्ठी करेंगे, जिसमें शोध अध्ययन बोर्ड के सभी सदस्य तथा विश्वविद्यालय के अन्य शोध अध्येता अथवा विद्यार्थी उपस्थित होंगे तथा शोध पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व संगोष्ठी में दिए गए सुझावों को शोध पत्र में शामिल किया जाएगा।

(2) सभी पर्यवेक्षकों को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह उल्लेख हो कि शोध पत्र में कोई साहित्यिक चोरी नहीं है।

48. साहित्यिक चोरी को रोकनाः- (1) विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी रूप में साहित्यिक चोरी स्वीकार नहीं होगी ताकि विद्वानों के प्रयासों के निष्पक्ष मूल्यांकन के साथ शोध की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

स्पष्टीकरण – इन अध्यादेशों के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति 'साहित्यिक चोरी' का अर्थ है कि बिना किसी स्वीकारोक्ति के किसी दूसरे के कार्य के किसी हिस्से को अथवा पूरे कार्य को स्वयं अपने कार्य के रूप में प्रस्तुत करना, भले ही इसका आशय धोखा देना न हो।

(2) निम्नलिखित को साहित्यिक चोरी माना जाएगा, अर्थात्:

(i) किसी दूसरे के काम को अपना बनाना

(ii) किसी को श्रेय दिए बिना उसके शब्दों या विचारों की नकल करना

(iii) इंटरनेट से सामग्री लेना और चिपकाना

(iv) उद्धहण को उद्धरण चिह्नों में न दर्शाना

(v) उद्धरण के स्रोत के बारे में गलत जानकारी देना

(vi) कुछ शब्दों को बदलकर लेकिन बिना श्रेय दिए स्रोत की वाक्य संरचना की नकल करके व्याख्या करना।

(vii) मूल्यांकन के लिए ऐसा कार्य प्रस्तुत करना जो किसी अन्य डिग्री पाठ्यक्रम या परीक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहले ही (आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से) प्रस्तुत किया जा चुका है।

(viii) अन्य वेबसाइटों से मीडिया, विशेष रूप से छवियों की प्रतिलिपि बनाना, उन्हें स्वयं के कागजात या वेबसाइटों में चिपकाना।

(3) (i) मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत पाठ्यक्रम, परियोजना रिपोर्ट और अनुसंधान प्रस्तावों के लिए आवधिक कागजातों की प्रस्तुति पर उनके द्वारा निर्दिष्ट साहित्यिक चोरी रोधी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा और जहाँ 5 प्रतिशत से अधिक किसी भी साहित्यिक चोरी का पता चलेगा तो उसे पन्द्रह दिनों के भीतर सख्त चेतावनी और अनिवार्य रूप से कार्य पुनः प्रस्तुत करने के साथ 'एफ' ग्रेड दिया जाएगा।

(ii) जहाँ पुनरीक्षण और पुनः प्रस्तुतीकरण के बाद भी साहित्यिक चोरी का पता चलता है तो विश्वविद्यालय उस छात्र के प्रवेश को रद्द कर देगा।

(4) मूल्यांकन के लिए शोध पत्र को औपचारिक रूप से प्रस्तुत करने से पूर्व, शोध पत्र की जाँच संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा साहित्यिक चोरी को रोकने संबंधी सॉफ्टवेयर द्वारा की जाएगी और यदि स्रोत् दर्शाए बिना किसी पाठ्यक्रम की श्रृंखला या आंकड़े नकल या उपयोग किए गए पाए जाते हैं तो शोध पत्र को (सॉफ्टवेयर के माध्यम से संशोधित एवं) पुनः संशोधित करने या जाँचने की आवश्यकता होगी।

(5) किसी भी स्थिति में शोध पत्र में समरूपता दो प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(6) यदि एक बाहरी परीक्षक द्वारा साहित्यिक चोरी के आधार पर एक शोध पत्र को रद्द कर दिया जाता है और इस उद्देश्य के लिए गठित किसी भी समिति द्वारा आरोप सही पाए जाते हैं तो पर्यवेक्षक पर उपयुक्त दंड लगाकर शोध पत्र को खारिज कर दिया जाएगा और कार्यक्रम में प्रवेश स्वतः ही रद्द मान लिया जाएगा।

49. शोध पत्र मूल्यांकनः- (1) शोध पत्र के शीर्षक के अंतिम अनुमोदन के लिए अनुरोध शोध पत्र जमा करने से कम से कम तीन महीने पहले प्री - सबमिशन सेमिनार के साथ किया जाएगा।

(2) शोध पत्र का शीर्षक पीएच. डी सलाहकार समिति द्वारा पर्यवेक्षक की सिफारिश पर अनुमोदित किया जा सकता है।

(3) यदि शोध पत्र जमा करने के लिए तैयार है, वहाँ अध्येता स्कूल के डीन को निम्नलिखित के साथ डिग्री प्रदान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा-

(i) शोध पत्र की एक सॉफ्ट कॉपी, पाँच हार्ड कॉपी;

(ii) शीर्षक पृष्ठ की छह प्रतियां, सार और शोध पत्र की सामग्री की तालिका के साथ जिसमें से एक पर्यवेक्षक के लिए होगा, की सॉफ्ट कॉपी;

(iii) अध्येता की ओर से और स्कूल के पर्यवेक्षक और डीन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित इस आशय का एक प्रमाण पत्र शोध पत्र में अध्ययन की अवधि के दौरान अध्येता द्वारा किए गए मूल शोध कार्य शामिल है और शोध पत्र सभी तरह से स्वीकार्य है और डिग्री प्रदान करने के लिए विचार किया जा सकता है;

(iv) अध्येता के दो पासपोर्ट आकार की फोटो;

(v) विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और अनुभागों से अध्येता द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई बकाया प्रमाण पत्र नहीं है, जिसमें कहा गया है कि अध्येता के खिलाफ कोई राशि बकाया नहीं है;

(vi) अध्येता द्वारा एक कॉपीराइट घोषणा, विश्वविद्यालय द्वारा अकादमिक उद्देश्यों के लिए इसके डिजिटल उपयोग की अनुमति; और

(vii) अध्येता द्वारा साहित्यिक चोरी को रोकने संबंधी एक शपथ।

(4) (i) शोध पत्र ए 4 आकार के कागज के एक तरफ टाइप किया जाएगा।

(ii) यह 1.5 स्पेस में और टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट (12pt) में टाइप किया जाएगा और बाईं ओर का मार्जिन 3.5 सेमी अन्य तरफ और 2.5 सेमी होगा।

(5) परिशिष्ट और अन्य पूरक सामग्री को छोड़कर, पीएच. डी शोध पत्र के लिए सामान्य ऊपरी सीमा लगभग 500 पृष्ठ की होनी चाहिए।

(6) शोध पत्र में एक शीर्षक पृष्ठ, सार, सामग्री की तालिका, विषयवस्तु सूची और एक सूची होगा।

(7) शोध पत्र की हार्ड कॉपी उसके अध्येता और पर्यवेक्षक के विवरण के साथ डिजिटल संस्करण के साथ पुस्तकालय में प्रस्तुत की जाएगी।

(8) (i) प्रस्तुत प्रत्येक पीएच. डी शोध पत्र का मूल्यांकन तीन बाहरी पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाएगा, जो पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत और संबंधित स्कूल के डीन द्वारा अनुशंसित छह नामों के पैनल से प्राधिकरण द्वारा चयनित अंतरराष्ट्रीय संकाय होगा।

(ii) पर्यवेक्षक स्वयं से संबंधित अध्येता द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र का परीक्षक नहीं होगा।

(9) प्रत्येक पी.एच.डी शोधप्रबंध के परीक्षक स्पष्ट रूप से इंगित करेंगे कि क्या बाहरी परीक्षक मौखिक परीक्षा के लिए शोधप्रबंध की सिफारिश करते हैं तथा सभी मामलों में ऐसी सिफ़ारिशों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट संलग्न होगी और बाहरी परीक्षकों की रिपोर्ट को अत्यंत गोपनीय रखा जाएगा।

(10) परीक्षा नियंत्रक को परीक्षकों की गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें अध्ययन के स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा और अध्यक्ष की सिफारिश पर मौखिक परीक्षा निर्धारित की जाएगी।

(11) मौखिक परीक्षा एक खुली परीक्षा होगी जहां संबंधित पर्यवेक्षक, स्कूल के डीन और स्कूल ऑफ स्टडीज बोर्ड के अध्यक्ष और कुलपति के नामित व्यक्ति उपस्थित होंगे।

(12) ग्लोबल पीएच.डी की डिग्री केवल निम्नलिखित को प्रदान की जाएगी:

(क) परीक्षकों द्वारा डिग्री देने की सिफारिश पर और

(ख) बाहरी विशेषज्ञों की उपस्थिति में मौखिक परीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा होने पर।

(13) बाहरी परीक्षकों से डिग्री प्रदान करने की सिफारिश की रिपोर्ट प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(14) तीन परीक्षकों में से, यदि दो परीक्षक डिग्री प्रदान करने की सिफारिश करते हैं, तो मौखिक परीक्षा की जाएगी।

(15) बाहरी परीक्षक शोधप्रबंध के संशोधन के लिए सिफारिश कर सकते हैं जिसके लिए दो महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।

(16) मौखिक परीक्षा पूरी होने पर, स्कूल के डीन या बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ स्टडीज के अध्यक्ष, ग्लोबल पीएचडी प्रदान करने के लिए प्राधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उसे अधिसूचित किया जाएगा।

अध्याय 6

पोस्टडॉक्टोरल अध्येतावृत्ति

50. सामान्य:- विश्वविद्यालय के उद्देश्यों तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए जरुरी उच्च शिक्षा के अन्य क्षेत्रों के अनुसार और साथ ही एशियाई देशों विशेष रूप से पूर्वी एशिया के बीच अधिक से अधिक परिचर्चा शोध को बढ़ावा देने के डोमेन में पोस्ट-डॉक्टरल स्तर पर शोध को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप की एक योजना स्थापित करेगा।

51. योग्यता :- (1) ऐसे व्यक्ति जिनके पास कम से कम पांच शोध प्रकाशनों के प्रकाशित शोध कार्य के साथ पीएच.डी. डिग्री है, वे विश्वविद्यालय में पोस्ट-डॉक्टरल अध्येता के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(2) पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति भारतीय और साथ ही विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी।

(3) विश्वविद्यालय के पास पोस्ट-डॉक्टोरल फेलो में किसी व्यक्ति को प्रवेश देने या न देने का अधिकार सुरक्षित है और जहां आवेदक का नाम किसी भी जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई में आता है, उसके आवेदन पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(4) पोस्ट-डॉक्टरेट अध्येता को प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार आवास दिया जा सकता है।

52. चयन:- (1) पोस्ट-डॉक्टोरल अध्येता का चयन प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिशों पर शोध क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा।

(2) डीन (शोध) या स्कूल के डीन जैसा भी मामला हो, आवेदकों के साक्षात्कार और प्रस्तुति के आधार पर आवेदकों द्वारा प्रस्तुति व्यक्ति वृत्त, प्रकाशनों की सूची और संदर्भों की सिफारिशों आदि के अलावा विस्तृत शोध प्रस्ताव के आधार पर चयन के लिए सिफारिश करेगा।

बशर्ते कि विदेशी आवेदकों को चयन समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी गई हो।

(3) प्राधिकारी अध्येतावृत्ति के लिए शामिल किए जाने वाले पोस्ट-डॉक्टरल अध्येताओं की अधिकतम संख्या और किसी दिए गए समय में किसी संकाय द्वारा परामर्श हेतु अध्येताओं की अधिकतम संख्या तय करेगा।

53. अवधि:- (1) पोस्ट-डॉक्टरल अध्येता कम से कम एक सेमेस्टर या दो सेमेस्टर के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति का हकदार होगा और इस अवधि में विस्तार उक्त अवधि के अनुसार पोस्ट-डॉक्टरल अध्येता द्वारा पूरे किए गए शोध के आधार पर तय होगा।

(2) पोस्ट-डॉक्टरेट अध्येता को शिक्षण सहायता वृन्ति प्रदान की जा सकती है।

(3) एक पोस्ट-डॉक्टरल अध्येता पर्याप्त कारण बताते हुए प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से अध्येतावृत्ति और विश्वविद्यालय छोड़ सकता है।

54. प्रगति रिपोर्ट:- (1) पोस्ट-डॉक्टरल अध्येता को प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में संबंधित पर्यवेक्षक या संरक्षक और स्कूल या केंद्र के डीन के माध्यम से एक व्यापक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत और जमा करनी होगी।

(2) प्राधिकारी स्कूल के डीन की एक रिपोर्ट के आधार पर किसी भी समय पोस्ट-डॉक्टरल अध्येता की अध्येतावृत्ति समाप्त कर सकता है।

55. कार्य आवंटन:- (1) पोस्ट-डॉक्टरल अध्येता को केंद्र या स्कूल से जोड़ा जाएगा और वह संबंधित स्कूल या केंद्र द्वारा अनुमोदित क्षेत्र में पूर्णकालिक शोध में पूर्ण समर्पित रहेगा।

(2) पोस्ट-डॉक्टरल अध्येता अपनी अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान किसी अन्य स्रोत से भुगतान या अन्यथा आधार पर किसी नियुक्ति को स्वीकार नहीं करेगा या कोई भी परिलब्धियां, वेतन, वजीफा, परामर्श आदि प्राप्त नहीं करेगा।

(3) स्कूल या केंद्र के डीन किसी अध्येता को आवश्यकतानुसार कोई अन्य शैक्षणिक जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं।

56. छुट्टी:- (1) पोस्ट-डॉक्टरेट अध्येता को एक सेमेस्टर में अधिकतम सात दिनों की अवधि के लिए आकस्मिक या चिकित्सा आधार पर छुट्टी दी जा सकती है।

(2) पोस्ट-डॉक्टरल अध्येता स्कूल के डीन या केंद्र के समन्वयक द्वारा अनुमोदित संगोष्ठी या सम्मेलन में भाग ले सकता है।

(3) पोस्ट-डॉक्टरल अध्येता पर्यवेक्षक या संरक्षक और स्कूल के डीन के माध्यम से प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए छुट्टी का आवेदन प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 7

मूल्यांकन और ग्रेड

57. मूल्यांकन:- (1) एक क्रेडिट सौ अंकों के बराबर है।

(2) प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों का कम से कम 50 प्रतिशत मूल्यांकन किसी सेमेस्टर की अंतिम औपचारिक परीक्षा पर आधारित होगा जो मौखित परीक्षा के घटक के साथ या उसके बिना, बाहरी मूल्यांकनकर्ता के साथ या उसके बिना मुख्य रूप से एक लिखित परीक्षा होगी।

(3) अन्य 50 प्रतिशत मूल्यांकन की योजना में मध्यावधि औपचारिक लिखित परीक्षा के माध्यम से 20 प्रतिशत मूल्यांकन और एक असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के माध्यम से 20 प्रतिशत और सतत मूल्यांकन के माध्यम से 10 प्रतिशत मूल्यांकन शामिल है।

(4) छात्रों के पास अपने ग्रेड में सुधार करने का केवल एक अवसर होगा और जो छात्र पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण नहीं हो सके, उन्हें एकमुश्त उपाय के रूप में परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर पूरक परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी।

(5) विश्वविद्यालय में साहित्यिक चोरी और परीक्षा संबंधी अन्य कदाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा।

(6) नियमों का उल्लंघन करने पर छात्रों को परीक्षा देने का अधिकार नहीं होगा।

58. ग्रेडिंग प्रणाली: - (1) किसी भी पाठ्यक्रम के संबंध में न्यूनतम क्रेडिट का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर की शुरुआत किया जाएगा।

(2) सभी मूल्यांकनों के अंक संकलित करने के बाद, ग्रेडिंग प्रणाली के अनुसार अंतिम ग्रेड प्रदान किए जाएंगे।

(3) अंकों को तदनुरूपी ग्रेड प्वॉइंट में बदलने के लिए, अंकों को हमेशा निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।

(4) कैफेटेरिया मॉडल के अनुसार अन्य स्कूलों से ग्रेड या क्रेडिट का संकलन, संबंधित संकाय या स्कूल के समन्वय में किया जाएगा और सभी स्कूलों द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली के लिए समान प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(5) यदि किसी छात्र ने अपने पाठ्यक्रम की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है तो उसके काम को "अनुतीर्ण" माना जाएगा ।

(6) यदि कोई छात्र मध्य सेमेस्टर की परीक्षा देता है और सतत मूल्यांकन करता है, परंतु सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में शामिल होने में विफल रहता है, उसे अनुतीर्ण माना जाएगा।

(7) कोई भी छात्र कैफेटेरिया मॉडल के तहत चलाए गए पाठ्यक्रमों के अनुसार अतिरिक्त क्रेडिट का हकदार होगा।

(8) ग्रेडिंग प्रणाली निम्नलिखित तालिका 3 के अनुसार की जाएगी, अर्थात्:

तालिका 3

(ग्रेडिंग प्रणाली)

अंक (%)	अंक ग्रेड	ग्रेड पॉइंट औसत (जीपीए)	टिप्पणी
91-100	A+	10	उत्कृष्ट
81-90	A	9	बहुत अच्छा
71-80	B	8	अच्छा
61-70	C	7	औसत से अधिक
51-60	D	6	औसत
40-50	E	5	औसत से कम
< 40	F	0	अनुतीर्ण
-	I	-	*अपूर्ण

जिसछात्र ने पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है, ऐसा छात्र विश्वविद्यालय से कोई भी डिग्री पाने का हकदार नहीं है।

प्रतिशत अंक = सीजीपीए X 10

59. ग्रेड सुधार: - स्कूल की अनुमति पर, कोई छात्र जो एक पाठ्यक्रम में 'एफ' से अधिक ग्रेड हासिल करता है, उसे परिणाम घोषित होने के 2 महीने के भीतर अपने ग्रेड में सुधार करने की अनुमति दी जा सकती है:

बशर्ते कि सीजीपीए/एसजीपीए गणना के लिए उच्च ग्रेड पर विचार किया जाएगा।

60. ग्रेड प्वाइंट आवश्यकता या न्यूनतम मानक: (1) ऐसे छात्र जो पिछले सेमेस्टर में पंजीकृत पाठ्यक्रम पचास प्रतिशत से उत्तीर्ण नहीं कर सके हैं, उन्हें नए सेमेस्टर के लिए पंजीकरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) एक छात्र जिसने 5 से कम का न्यूनतम अंतिम ग्रेड प्वाइंट औसत हासिल किया है, वह डिग्री के लिए योग्य नहीं होगा।

61. किसी कार्यक्रम से छात्र का नाम हटाना:- (1) यदि छात्र निर्दिष्ट सीजीपीए आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है या एक बार परीक्षा के पूरक नियम का लाभ उठा चुका है तो उस छात्र का नाम अपने-आप विश्वविद्यालय के नामावली से हटाया जा सकता है।

(2) यदि किसी छात्र ने विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय में किसी अन्य पूर्णकालिक कार्यक्रम के लिए पहले ही पंजीकरण करा लिया है तो वह छात्र विश्वविद्यालय में किसी अन्य कार्यक्रम या अध्ययन के पाठ्यक्रम के पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।

62. परीक्षाएं:- (1) पीएचडी शोधप्रबंध के मूल्यांकन के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए सभी परीक्षाएं आंतरिक रूप से आयोजित की जाएंगी।

(2) सभी परीक्षाओं को प्राधिकारी के अनुमोदन से डीन के निर्देशन में आयोजित किया जाएगा और विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परीक्षा कार्यक्रम का पालन किया जाएगा।

(3) 75% उपस्थिति को पूरा नहीं करने वाले या बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने वाले किसी भी छात्र को प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा।

(4) विभिन्न क्रेडिट पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित छात्रों के मूल्यांकन के लिए मध्य सेमेस्टर और अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं, असाइनमेंट और व्यावहारिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र संबंधित पाठ्यक्रमों को पढ़ाने वाले संकाय द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर की शुरुआत में घोषित पाठ्यक्रम के अंदर से तैयार किए जाएंगे।

(5) किसी भी छात्र को अपेक्षित लिखित शोध-पत्र, शोध-निबंध, परियोजना आदि जमा करने या अंतिम सेमेस्टर मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह परीक्षा फीस सहित सभी देय रसीदों, यदि कोई हो, के साथ-साथ विश्वविद्यालय से निकासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।

(6) मध्य सेमेस्टर तथा अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के लिए अकादमिक कैलेंडर और केंद्रीकृत परीक्षा समय सारिणी की घोषणा विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर की शुरुआत में की जाएगी।

(7) परीक्षा के बाद, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उसी संकाय द्वारा किया जाएगा जिसने प्रश्न पत्र तैयार किया था और ग्रेड भी उनके द्वारा ही प्रदान किए जाएंगे:

बशर्ते स्कूल के डीन प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले संकाय के अन्य सदस्यों से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने या आवश्यकता पड़ने पर मौखिक परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध कर सकते हैं।

(8) अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा के पूरा होने के बाद, स्कूल के डीन इस उद्देश्य के लिए गठित संकाय के अन्य सदस्यों की समिति द्वारा सभी ग्रेड की जांच कराएंगे और डीन परीक्षा या मूल्यांकन या गोपनीय खंड को अंतिम ग्रेड जमा करेंगे।

(9) विश्वविद्यालय कम से कम तीन वर्षों के लिए छात्रों की मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखेगा।

(10) किसी पाठ्यक्रम में अपने ग्रेड में सुधार के लिए पुनः परीक्षा देने वाले छात्रों को स्कूल के डीन से लिखित में अनुमति लेनी होगी।

(11) कोई भी छात्र 75 प्रतिशत न्यूनतम उपस्थिति होने पर सेमेस्टर परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

(12) यदि कोई छात्र परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है, तो वह स्कूल के डीन से परिणाम की समीक्षा के लिए अनुरोध कर सकता है।

(13) स्कूल के डीन परिणाम की घोषणा के लिए परीक्षा नियंत्रक (सीओई) कार्यालय को अंक जमा करेंगे।

(14) सीओई कार्यालय या परीक्षा प्रभारी पूरी गोपनीयता बनाए रखेंगे।

(15) असाधारण परिस्थितियों में, विश्वविद्यालय प्राधिकारी के अनुमोदन से अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं की समीक्षा कर सकता है लेकिन अन्य सतत मूल्यांकन मानकों की नहीं।

(16) परिणाम की समीक्षा या पुनर्गणना के लिए अनुरोध, परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए।

63. परिणामों का अनुशोधन: - (1) परिणामों में किसी भी त्रुटि के मामले में, किसी भी सुधार के लिए आवश्यतानुसार स्कूल के डीन या सीओई के ध्यान में लाया जा सकता है।

(2) जहां परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है और बाद में यह पाया जाता है कि वह परिणाम धोखाधड़ी या कदाचार से प्राप्त किया गया है, उस छात्र को असफल और ब्लैकलिस्टेड घोषित किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय में आगे के अध्ययन या रोजगार के लिए हकदार नहीं होगा।

अध्याय 8

छात्रों का अनुशासन और आचरण

64. अनुशासन:- (1) सभी छात्रों प्राधिकरण के अनुमोदन से अनुशासनात्मक बोर्ड या आंतरिक शिकायत समिति या ऐसी किसी समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुशासनिक नियमों और विनियमों का पालन करेंगें।

(2) अधिनियम, विधियों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुसार प्राधिकरण में निहित अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई और उस संबंध में छात्रों के आचरण के विनियमन से संबंधित सभी शक्तियां, उनके द्वारा डीन, मुख्य प्रॉक्टर या ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे वह ठीक समझे, को प्रत्यायोजित की जा सकती हैं।

(3) खंड (1) में निर्दिष्ट नियमों या विनियमों का कोई भी उल्लंघन घोर दुराचार और अनुशासनहीनता का कार्य माना जाएगा ।

(4) प्रत्येक छात्र को प्रवेश के समय एक घोषणा या शपथ पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी कि प्रवेश पर वह अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार खुद को विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों के अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करता है ।

65. कदाचार और अनुशासनहीनता:- (1) कदाचार और अनुशासनहीनता निम्नलिखित श्रेणियों के होंगे, अर्थात्:-

(i) श्रेणी - I:

(क) हिंसा के सभी कार्य और सभी प्रकार के बलप्रयोग जैसे घेराव, धरना या उसी का कोई स्वरूप जो विश्वविद्यालय के सामान्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज को बाधित करता है या कोई भी कार्य जो हिंसा को उकसाता है या करता है;

(ख) शैक्षिक अथवा प्रशासनिक परिसर के प्रवेश अथवा प्रस्थान स्थल को अवरूद्ध करके भूख हड़ताल, धरना, सामूहिक सौदेबाजी या अन्य प्रकार का कोई विरोध अथवा विश्वविद्यालय के समुदाय की आवाजाही को अवरूद्ध करना; तथा

(ग) यौन उत्पीड़न का कोई भी कार्य।

(ii) श्रेणी - II:

(क) जालसाजी करना, पहचान पत्र या विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़, प्रतिरूपण, विश्वविद्यालय की संपत्ति (चल या अचल), दस्तावेजों और अभिलेखों का दुरुपयोग, पृष्ठों को फाड़ना, विकृत करना, जलाना या किसी भी तरह से पुस्तकों, पत्रिकाओं, पत्रिकाओं और किसी को नष्ट करना पुस्तकालय, प्रयोगशाला की प्रिंट या डिजिटल (सॉफ्ट और हार्ड) सामग्री या अनधिकृत फोटोकॉपी या पुस्तकालय की पुस्तकों, पत्रिकाओं, पत्रिकाओं या किसी अन्य सामग्री के अधिकार में रखना;

(ख) किसी भी शैक्षणिक या प्रशासनिक परिसर के प्रवेश या निकास को अवरुद्ध करके या विश्वविद्यालय समुदाय के किसी भी सदस्य के आंदोलनों को बाधित करके भूख हड़ताल, धरना, समूह सौदेबाजी और विरोध का कोई अन्य रूप;

(ग) विश्वविद्यालय को किसी भी तरह से झूठे या जाली प्रमाण पत्र या दस्तावेज या झूठी जानकारी प्रस्तुत करना;

(घ) नैतिक अधमता का कोई भी कार्य;

(ङ) महिलाओं से छेड़खानी, किसी भी छात्र, स्टाफ सदस्य, आगंतुक आदि के साथ अशिष्ट व्यवहार या कोई अन्य दुर्व्यवहार, महिला–पुरूष की परवाह किए बिना।

(च) छात्रों के बीच सांप्रदायिक, राष्ट्र-विरोधी या क्षेत्रीय भावना पैदा करना या वैमनस्य पैदा करना;

(छ) भाषण, पोस्टर, पैम्फलेट, संदेश, ईमेल, या किसी अन्य माध्यम से विश्वविद्यालय समुदाय या राज्य या देश के किसी भी सदस्य के खिलाफ अभद्र, अपमानजनक, घिनौनी या धमकाने वाली भाषा का प्रयोग;

(ज) आपत्तिजनक पोस्टर चिपकाना या पैम्फलेट या हैंडबिल का वितरण या सोशल मीडिया का उपयोग या दीवारों पर लिखना और इमारतों को खराब करना;

(झ) विश्वविद्यालय के परिसर में किसी व्यक्ति का अप्राधिकृत प्रवेश करवाना अथवा आवासीय हॉल सहित विश्वविद्यालय के परिसर के किसी भाग पर अप्राधिकृत कब्जा करवाना या ऐसे कृत्यों में शामिल होना;

(ट) छात्रावास के कमरे पर अनधिकृत कब्जा करना, या किसी कमरे मे विश्वविद्यालय के फर्नीचर पर कब्जा करना और उसका अत्यंत प्रयोग करना;

(ठ) विश्वविद्यालय परिसर में जुआ खेलने या शराब पीने के कृत्यों में लिप्त होना;

(ड) उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति के बिना, विश्वविद्यालय के शीर्षक या किसी के शीर्षक का उपयोग, किसी अन्य प्रयोजन के लिए जब प्रेस को कोई पत्र या संचार भेजते समय विश्वविद्यालय का नाम लिखा हो या विश्वविद्यालय के बाहर अकादमिक कार्य के अलावा कोई दस्तावेज वितरित करना;

(ढ) विश्वविद्यालय परिसर और आवासीयभवन आदि में ड्रग्स या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन या रखना;

(ण) विश्वविद्यालय की किसी संपत्ति या विश्वविद्यालय के किसी सदस्य की संपत्ति को किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाना या विकृत करना;

(त) किसी की पहचान की जांच के लिए प्राधिकृत विश्वविद्यालय के किसी संकाय सदस्य या कर्मचारी के कहने पर किसी की पहचान की खुलासा न करना;

(थ) दौरे या भ्रमण के दौरान अनुचित व्यवहार;

(द) किसी भी रूप में रैगिंग;

(ध) विश्वविद्यालय और भोजनालय शुल्क सहित अन्य देयता की राशि का भुगतान न करना;

(न) आवासीयभवन के हॉल में अनधिकृत मेहमानों या अन्य व्यक्तियों को ठहराना;

(प) संकाय के किसी भी सदस्य, स्टाफ, छात्र या परिसर के अंदर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करने के किसी भी प्रयास में शामिल होना;

(फ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों और शैक्षणिक कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करने से इनकार करना;

(ब) विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना किसी भी छात्र कार्यक्रम, परियोजना या गतिविधि के लिए धन का अप्राधिकृत संग्रह करना;

(भ) चूंकि विश्वविद्यालय जनादेश के अनुसार अंतरराष्ट्रीय है; इसलिए किसी भी राष्ट्र या राष्ट्रीयता का कोई भी अनादर;

(म) कोई अन्य कार्य जिसे प्राधिकरण द्वारा अनुशासन और आचरण के उल्लंघन का कार्य माना जा सकता है ।

66. दंड:- विश्वविद्यालय अनुशासनहीनता या कदाचार के किसी भी कृत्य के लिए दोषी पाए जाने वाले किसी भी छात्र पर निम्नलिखित में से कोई भी दंड लगा सकता है, अर्थात्:-

श्रेणी - I:

(i) प्रवेश को रद्द करना या डिग्री वापस लेना या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पंजीकरण से इनकार करना;

(ii) चार सेमेस्टर तक की अवधि के लिए निष्कासन या /पूरे नालंदा विश्वविद्यालय परिसर या किसी भी हिस्से की सीमा में प्रवेश वर्जित करना;

(iii) निष्कासन।

(ख) श्रेणी - II:

(i) चेतावनी/ भर्त्सना/ लिखित माफी;

(ii) 25000/- रुपये या इसके बराबर यूएस डॉलर का जुर्माना।

(iii) छात्रवृत्ति, फेलोशिप, कोई बकाया, नुकसान की लागत, किसी भी प्रकार की वसूली आदि।

(iv) किसी छात्र को उपलब्ध किसी भी या सभी सुविधाओं को वापस लेना।

(v) किसी भी शैक्षणिक प्रक्रियाओं को रोकना।

(vi) किसी भी आवासीय भवन, परिसर, भवन या पूरे एनयू परिसर में प्रवेश वर्जित करना।

(vii) दो सेमेस्टर तक निष्कासन।

(viii) फेलोशिप/छात्रवृत्ति रद्द करना

67. अनुशासनिक बोर्ड और अपीलीय समिति: - छात्रों के अनुशासन और आचरण को विनियमित करने के लिए विश्वविद्यालय निम्नलिखित बोर्ड और अपीलीय समिति का गठन कर सकता है, अर्थात्:

(i) अनुशासनिक बोर्ड;

(ii) आंतरिक शिकायत समिति

(iii) अपीलीय समिति (जहां आवश्यक हो)

68. अनुशासनिक बोर्ड का गठन:- अनुशासनिक बोर्ड में एक अध्यक्ष (प्रॉक्टर) और एक महिला सदस्य सहित तीन सदस्य होंगे, जो प्राधिकरण के अनुमोदन के अनुसार कार्य करेंगे:

बशर्ते कि यदि प्रॉक्टर पद पर कोई नहीं है, तो प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों में से उपयुक्त अनुभव के साथ नियुक्त किया जाएगा ।

69. अनुशासनिक बोर्ड के कार्य: - (1) अनुशासनिक बोर्ड का कार्य अनुशासन बनाए रखना, नागरिक भावना और शिष्टता सुनिश्चित करना और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों और जनादेशों का सम्मान करना।

(2) अनुशासनिक बोर्ड इस तरह की अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शिकायत की सुनवाई और निर्धारण करेगा ।

(3) अनुशासनिक बोर्ड लिखित शिकायत प्राप्त होने पर एक महीने के भीतर शिकायत का निपटान करेगा।

70.अनुशासनिक बोर्ड की सिफारिशें:- (1) जहां अनुशासन बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि छात्र सदस्य ने कोई उल्लंघन किया है, वह प्राधिकरण को निम्नलिखित सिफारिश कर सकता है-

(क) अध्यादेश 66 के तहत श्रेणी II में उल्लिखित राशि का जुर्माना लगाना;

(ख) छात्र सदस्य के आचरण के परिणामस्वरूप चोट, क्षति, या हानि से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को मुआवजे का भुगतान करने के लिए छात्र को आदेश देंगे;

(ग) छात्र को ऐसी अवधि के लिए या ऐसी शर्तों पर जो उचित समझा जाए, परिसर या सुविधाओं से वंचित करना;

(घ) छात्र को उचित समझी जाने वाली अवधि के लिए निष्कासन करना;

(ड़) छात्र का बहिष्करण।

(2) प्राधिकरण उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर खंड (1) में निर्दिष्ट किसी भी दंड को अलग से या एक साथ कई दंड लगा सकता है ।

(3) जहां अनुशासनिक बोर्ड को लगता है कि छात्र ने अनजाने में किसी भी मानदंड का उल्लंघन किया है , वह छात्र को इसे न दोहराने के लिए एक लिखित वचनबद्धता प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है :

बशर्ते कि यदि छात्र अनुशासन की शर्तों का उल्लंघन करना जारी रखता है, तो उस पर खंड (1) में संदर्भित श्रेणी-I या II जैसा भी मामला हो, के अनुसार दंड लगा सकता है।

(4) अनुशासनिक बोर्ड कार्यवाही का रिकॉर्ड रखेगा।

71.आंतरिक शिकायत समिति:- (1) यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के संबंध में, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) और भारत सरकार के अन्य दिशानिर्देश या नियम के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया जाएगा।

72. अपील: यदि किसी छात्र, जिसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है, को अनुशासनिक बोर्ड सिफारिश से शिकायत है तो वह अपीलीय समिति के समक्ष अपील की अनुमति की मांग कर सकता है।

73. अपीलीय समिति: (1) अपीलीय समिति का गठन प्राधिकरण द्वारा उन मामलों में किया जाएगा, जिनके अनुशासनिक बोर्ड के निर्णय के खिलाफ लिखित रूप में अपील प्राप्त होती है

(2) अपील समिति में ऐसे सदस्य होंगे, जो प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाएं।

(3) अपील समिति में न्याय और निष्पक्षता के हित में दो से अधिक जांचकर्ता, जो स्कूल के सदस्य नही होंगे।

(4) जांचकर्ता, अपील समिति को आवश्यक रूप से सहायता और सलाह देगा और अपील समिति के निर्णय के पक्षकार नहीं होंगे ।

(5) अपीलीय समिति का कार्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई और निर्णय करना होगा।

74. सामान्य:- (1) सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हुए और आरोपित छात्रों को खुद का बचाव करने के लिए उचित अवसर प्रदान करने के बाद, किसी छात्र पर तब तक कोई दंडात्मक उपाय नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे उस अपराध का दोषी नहीं पाया जाता है जिसके लिए उस पर प्रॉक्टोरियल या किसी अन्य जांच का आरोप लगाया गया है।

(2) यदि प्राधिकरण की राय है कि उपलब्ध सामग्री और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के आधार पर, एक छात्र के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है, वह प्रोक्टर द्वारा या कोई जांच होने तक छात्र के निलंबन का आदेश दे सकता है, जिसमें किसी भी या सभी सुविधाओं को वापस लेने का आदेश दिया जा सकता है,

(3) इन अध्यादेशों में उल्लिखित किसी भी दंडात्मक उपायों के बावजूद, प्राधिकरण दुराचार की गंभीरता तथा प्रकृति अथवा अनुशासनहीनता के कृत्य, किए गए दुराचार अथवा अनुशासनहीनता के तरीके और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उल्लिखित उपायों से अधिक और कम तथा उसके अलावा, कोई भी दंड लगा सकता है जिसके कारण दर्ज किए जाएंगे।

डॉ. अनुपम राय, संयुक्त सचिव, (पी.पी. एण्ड आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./501/2021-22]

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Policy Planning and Research Divisionnotification)

New Delhi, the 3rd December, 2021

F. No. S/321/25/2014 (E).—In exercise of the power conferred by Section 29 of the Nalanda University Act, 2010 (39 of 2010) and in suppression of the Nalanda University First Ordinances, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Governing Board hereby makes the following Ordinances of the Nalanda University, namely :-

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1. **Short tittle and commencement. –** (1) These Ordinances may be called the Nalanda University (Academic) Ordinances, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition. –** (1) In these Ordinances, unless the context otherwise requires-

a) "Act" means the Nalanda University Act, 2010 (39 of 2010);

b) Admission" means admission in any program/course of study in the University;

c) "Admission Committee" means the Committee comprises of Faculty and constituted by the Authority to deal with the admission matters of the University;

d) "Authority" means the Vice-Chancellor of Nalanda University;

e) "Board of Research Studies" means the group of Faculty, headed by the Dean of the concerned School of Study or his appointee, constituted by the Authority to oversee the research activities of that School of study;

f) "Centre" means a Research Centre to conduct research programs;

g) "Co-Supervisor" means the Faculty on the Ph.D. Advisory Committee who complements the supervisor in interdisciplinary research from any other School or who takes administrative and research responsibilities of the scholar in the absence of the supervisor;

h) "Coordinator" means any Faculty assigned the charge to coordinate a course of study or program;

i) "Dean" means Dean of a School of Study;

j) "Disciplinary Committee" means the Committee constituted by the authority to deal with cases relating to violation of rules;

k) "Equivalence" means equivalence of degree or diploma or certificate in terms of the fulfillment of the required number of credits or grades approved by the Authority;

l) "Expulsion" means to deprive a member or a student permanently of his membership or studies of the University;

m) "Harassment" means unwanted and unwarranted conduct towards another person;

n) "Internal Complaints Committee (ICC)" means the committee constituted by the Authority to deal with cases of eve-teasing or sexual harassment;

o) "Out of bounds" means the withdrawal of all rights to the access of the University or its residences;

p) "Program" means a program for grant of a specific degree or diploma or certificate;

q) "Ph.D. Advisory Committee" (PAC) – means the committee comprises of the supervisor, an International Advisor (Faculty), an external subject expert within the country and an interdisciplinary faculty within the University;

r) "Residence" means the hostels or international hostels;

s) "Rustication" means withdrawal of the right of access to the land, buildings and facilities of the University for certain in accordance with the provisions of these Ordinances;

t) "School Board" means the Board comprises of the Dean, senior faculty members, one faculty at the level of Associate Professor or Assistant Professor and a maximum of three experts as per the approval of the Authority;

u) "Scholar" means any candidate registered by the University to pursue full-time or part-time research for the award of Global Ph.D. degree of the University;

v) "Supervisor" means the Faculty of the University or faculty recognized by the University both from within the country or overseas from recognized or reputed institutions to guide the scholar registered in the University;

w) "Suspension" means withdrawal of the right of access to the University for a specific period;

x) "Thesis Defense Committee" means a committee constituted on the suggestion of the supervisor with prior approval of the Authority for the conduct of a candidate's thesis defense.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act and the Statutes shall have the same meaning as assigned to them in the Act and the Statutes.

CHAPTER 2

ADMISSIONS

3. Course of Study or Programme, Duration and Credits: - (1) The University shall run the following programmes, namely:-

S.No.	Course of Study/Program	Duration	Credits
1	Global Ph.D.	Four years	130
2	MBA	Two years	74
3	M.Sc.	Two Years	64
4	M.A.	Two Years	64
5	Diploma	Six to nine months	32
6	Certificate	Three to six months	16

(2) Apart from the course of study and programmes referred to in (1), the University shall have post-doctoral research programs including the interdisciplinary cluster research.

(3) The School/Centre can plan Short-Term Programs (STP) with the duration as approved by the Authority.

(4) The minimum criteria and standard of admission in, the duration of each course of study and programme shall be as approved by the Authority:

Provided that the University may relax or condone any such criteria or standard and duration in regard to any course of study of programme, with the approval of the Authority if required, from time to time.

(5) The curriculum of each course of study and programme and any change therein shall require approval of the Authority.

(6) The Authority shall approve the eminent and distinguished names for Honorary Degree of University.

(7) The Authority shall approve the proposal for introduction of a new Course and Programme and shall also have the power to add new courses or recommend new Schools keeping in view of the objectives of the Act.

4. **Admission of Students: -** (1) The academic programmes of the University shall be open to all nationalities without regard to their sex, race, caste, class, religion, profession or gender.

(2) The University shall maintain an all- India and global character with high standards of teaching and research and shall admit students strictly on merit as determined through entrance test and interview conducted by the University from time to time:

Provided that the University reserves the right not to admit any person for the reasons recorded in writing.

(3) The number of students to be admitted in each school shall be laid down periodically by the Board of Studies with the approval by the Authority.

(4) The admission of a student shall be cancelled if he has been found to have indulged in any act or omission in contravention to the code of conduct framed by the University in this regard.

(5) The Authority reserves the right to withdraw, defer or cancel admission in any course of study or programme offered on valid and cogent reasons which shall be recorded in writing.

(6) Minimum qualifications for admission to the courses in a School shall be laid down by the University from time to time as per the recommendation of the Admission Committee.

(7) Students shall be admitted to the various course of study and program in order of merit.

(8) Only such students who have passed an examination of a University in the given country shall be considered for admission.

(9) Equivalence with respect to Grades for foreign students shall be laid down by the Admission/Equivalence Committee, as the case may be, and provisional admission may be allowed for a maximum period of sixty days subject to equivalence being established by the Equivalence Committee.

(10) Consideration of Foreign candidates' applications received after the expiry of the last date of submission of application for admission, shall be as per the recommendation of the Admission Committee.

(11) A Candidate shall be allowed to apply for not more than two courses at a time.

(12) Indian Students with a mandatory migration certificate shall be eligible for admission to any Masters or Research or any other course of study or programmes at the University.

(13) (i) All the relevant original documents shall be submitted at the time of admission by the date specified for verification which shall be returned after proper verification.

(ii) The admission, provisional or otherwise, of any student who either does not submit the required documents by the said specified date or fails to meet any other laid down requirement for admission, can be cancelled by the Authority.

(14) The admission of any student shall be cancelled if it is found that the student had supplied false information, document or suppressed any relevant information or document while seeking admission.

5. Admission Procedure: - (1) The procedure for admission to any course or programme leading to award of degrees, diploma or certificates etc. shall be laid down from time to time by the Admission Committee in accordance with the provisions laid down in these Ordinances.

(2) The application process for admissions shall be paperless and online.

6. Eligibility for Admission: - (1) A candidate shall be eligible for admission, if he possesses a relevant degree, as specified in the admission notification for a given Academic year, from a recognised university or institution.

(2) (i) Foreign students from non-English speaking countries shall be required to submit evidence of proficiency in English Language such as TOEFL (Test of English as Foreign Language) and IELTS (International English Language Testing System).

(ii) The candidates having full-time degree-level course, entirely taught and assessed in English need not submit any of the proficiency certificate.

7. Fee Structure :- (1) The tuition fees for the academic year along with the hostel fees and meal charges shall be as specified on the admission portal of the University at the commencement of every admission cycle.

(2) The students may either pay the fee referred to in clause (1) at one time for the entire course of study of programme or every semester wise as per the options laid down by the University in this behalf.

(3) The University shall revise the fees in every three to five years with the approval of the Executive Body of the University.

(4) The University is a fully residential University and a student shall pay fees for hall of residence, meal and other amenities as specified in the University website from time to time at the beginning of the semester.

(5) Any failure to pay the fees shall result in cancellation of admission or registration by the University.

8. Mode of Fees Payment: - The payment of the fees shall be made either through Demand Draft in favour of "Nalanda University", payable at "Rajgir" or through NEFT/RTGS using the details as provided on the Admission Portal of the University.

9. Refund of Fees :- (1) Where a student chooses to withdraw from the course of study or programme in which he is enrolled, the fee shall be refunded in such cases as per the recommendation of the Admission Committee with the approval of the Authority.

(2) The University shall deduct an amount not more than ten percent of the aggregate fees as processing charges from the refundable amount.

10. Registration: - (1) Every student who has been granted admission shall register for the specified courses at the beginning of each semester.

(2) Students shall be entitled to register for the requisite number of courses in each semester as per the credit structure after depositing the laid down fees.

(3) No student shall be allowed to attend a course without prior registration and payment of laid down fees and all other dues outstanding against the name of such student.

(4) (i) Where a student is unable to register on account of illness or any other reason he shall intimate the reason of his absence to respective program Coordinator or Dean of the concerned School, as the case may be, and the Admissions Office in advance, in writing.

(ii) In-absentia registration may be allowed in special cases by the Dean of the concerned School.

11. Late Registration: - Late registration shall be allowed up to two weeks from the date of commencement of classes and the late registration beyond two weeks shall require approval of the concerned Dean of the School.

12. Minimum Credit Limit: - The minimum credits required to be registered for, in each semester, shall be as per the credit structure laid down in this behalf by the University.

13. Addition, Deletion, Audit or Withdrawal from Courses: - (1) A student shall apply in writing to the respective program Coordinator or Dean of the concerned School for any addition, deletion, audit or withdrawal from a course.

(2) A student shall have the option to add or delete any course during the first two weeks of the commencement of the semester with the permission of the Dean of the School or Programme Coordinator, as the case may be.

(3) (i) A student may register for more elective courses, under cafeteria model, as extra credit beyond the minimum number as specified under the credit structure.

(ii) The extra credit courses shall not be included for the calculation of Semester Grade Point Average or Cumulative Grade Point Average:

Provided that the extra credit shall be mentioned in the Grade Card separately as extra credits earned.

Explanation - Under cafeteria model the students in each semester may choose courses of their interest from the wider menu of courses offered by other Schools.

(4) A student may apply to Dean of the respective School or Coordinator, as the case may be, to change a credit course to an audit course within two weeks from the commencement of a semester.

(5) A student who opts to withdraw from a course shall apply to the Dean of the respective School or Coordinator, as the case may be, in writing within three weeks from the commencement of a semester.

14. Leave of Absence: - (1) All courses at University shall be evaluated on the basis of fifty percent continuous assessment including mid semester written examinations and fifty percent of end semester written examinations.

(2) The Absence during the semester shall not be permissible for the registered students and minimum attendance requirement of seventy-five percent shall be required to be maintained in all cases:

Provided that for *bonafide* reasons, a student may be granted leave of absence as per the provisions laid down by the University in this behalf.

(i) Absence for a period of four weeks at a stretch, during a semester, shall result in automatic cancellation of the registration of students from the courses in that given semester.

CHAPTER 3

MASTERS' PROGRAMMES

15. **Curriculum of Masters' Programme : -** (1) The University shall offer two-year Masters' Programmes consisting of the Foundation, Bridge courses in the Previous year (1st year) and Advanced and Specialized courses in the Final year (2nd year) and research based dissertation in the final semester is mandatory.

(2) The curriculum for the programs shall be prepared by the School with the approval of the Authority.

(3) Criteria for Admission – (1) Subject to the proper screening done as per the criteria laid down by the University, the Masters' Programme at the University shall be open to all persons who are graduates from any disciplinary background so as to encourage diversity in terms of geographical location, age, gender, and culture.

(4) (a) Indian undergraduate students shall be admitted to the Masters' Programme through an entrance or interview and SOP;

(b) Foreign students shall be admitted to the Masters' Programme through interview or SOP and their under-graduate academic transcripts and the TOEFL or IELTS scores shall be an important consideration for students from non-English speaking countries.

(5) Without prejudice to any provision under this Ordinance, all admissions shall be based upon –

(i) academic record;

(ii) statement of purpose; and

(iii) letter of recommendation for foreign students.

Provided that mere possession of the minimum criteria shall not guarantee admission and the decision of the Admission Committee in this regard shall be final and binding.

16. Credit Structure of M.A and M.Sc.:- (1) For the award of a Masters' degree by the University, a student shall be required to obtain 64 credits as per the table-1 given below in the following manner, namely:-

(i) 32 credits in the Previous year (1st year) and

(ii) 32 credits in the Final year (2nd year).

(2) The students of Masters' degree programme shall be required to complete a minimum of 16 credits in each semester and an academic year shall have two academic semesters of at least 18 weeks each, with 16 weeks of classroom engagement.

Table-1

M.A/M.Sc.= 64 Credits

Previous Year	**Final Year**
A. Semester-I (Foundation Courses): 16 credits (i) 4 core courses (3 credits each) (ii) 1 elective course (3 credits) (iii) 1 seminar (1 credit)	**C. Semester-III (Advanced Courses): 16 credits** (i) 2 core courses (3 credits each) (ii) 3 elective courses (3 credits each) (iii) 1 seminar (1 credit)
B. Semester-II (Bridge Courses): 16 credits (i) 3 core courses (3 credits each) (ii) 2 elective courses (3 credits each) (iii) 1 seminar (1 credit)	**D. Semester-IV (Specialized Courses): 16 credits** (i) 1 core course (3 credits) (ii) 1 elective course (3 credits) (iii) 1 seminar (1 credit) (iv) Dissertation (9 credits)

17. **Credit Structure of MBA: -** (1) The University shall offer a MBA program in Sustainable Development and Management consisting of 74 credits which shall be open to both Indian and International students and working professionals on part-time or online basis; the University, from time to time, may review and create new models on international basis.

(2) For the award of a MBA degree by the University, a student shall be required to obtain 74 credits for a full MBA degree and can exit after one year with a diploma with 38 credits as per the table-2 below in the following manner, namely:-:

(i) 38 credits in the Previous year (1st year) including 2 Credits for Summer Internship; and

(ii) 36 credits in the Final year (2nd year).

(3) The MBA students shall be required to complete a minimum of 18 credits in each semester apart from 2 Credits for Summer Internship and and an academic year shall have two academic semesters of at least 18 weeks each, with 16 weeks of classroom engagement.

Table-2

(MBA: 72 Credits + 2 Credits (Summer Internship) = 74 Credits)

A. Semester-I: 18 credits (i) 5 core Courses (3 credits each) (ii) 1 core course (2 credits) (iii) Seminar (1 Credit)	**B. Semester-II: 18 credits** (i) 5 core Courses (3 credits each) (ii) 1 core course (2 credits) (iii) Seminar (1 Credit)
Summer Internship (6-8 weeks): 2 credits Exit after one year with a Diploma	
C. Semester-III: 18 credits (i) 2 core Courses (3 credits each) (ii) 4 electives (3 credits each)	**D. Semester-IV (Specialized Courses): 18 credits** (i) Corporate Experience (10 credits) (ii) Monograph (8 credits) Or (iii) Dissertation (10 credits) (iv) Research Presentation (8 credits)

18. General: - (1) The Seminars shall be mandatory for all students of a Masters' Programme, involving not only presentation of papers but also review and critical appreciation of other presenters and at least one publication shall be expected from every student through the compulsory seminars.

(2) In order to grant a basic training in independent research and being an important component of the curriculum all students of a Masters' Programme shall be required to submit the dissertation with at least one publication.

(3) Internships (other than the MBA Program) with the concurrence of the Authority during summer and winter vacations shall be encouraged.

19. Faculty Advisor/Mentor: - (1) For each student, there shall be a faculty advisor from amongst the members of the Faculty of the Schools.

(2) At the time of opting for the courses, each student may consult his faculty advisor to finalise the courses in the academic program keeping in view the minimum or maximum number of total credits, past performance, backlog of courses, Semester Grade Point Average (SGPA) or Cumulative Grade Point Average (CGPA) or Grade Point Average (FGPA), work load and his interests.

20. Examination and Evaluation: - (1) At least fifty percent of the student evaluation in each course shall be based on a formal end-semester examination which shall be a sit-in written test, with or without a viva-voce component (with or without an external evaluator).

(2) The scheme for the other fifty percent evaluation shall include twenty percent evaluation through a formal mid-term written test and twenty percent through an assignment or project and ten percent through continuous assessment.

21. Teaching Calendar: - (1) An academic year shall have two academic semesters of at least 18 weeks each, with 16 weeks of classroom engagement per semester.

(2) Two weeks of preparatory break shall be envisaged with one week break before the Mid semester written examinations and one week before the End semester written examinations.

(3) All the Faculty shall be required to be available on the Campus during the Preparatory break for the students so as to facilitate them in regards to any doubts or clarifications or additional teaching etc.

CHAPTER 4

DIPLOMA AND CERTIFICATE

22. Commencement: - All Programs and Courses of Study leading to award of Diplomas or Certificates shall be conducted by the Schools or Centres of the University subject to the approval of the Authority from time to time.

23. Diploma: - (1) The Diploma programme shall consist of thirty-two credits to be completed during the duration of the course.

(2) The Admission Process and minimum qualifications for the Diploma Program shall be decided by the School or Centre with approval of the Authority and published on the official website of the University from time to time.

(3) The curriculum for a Diploma programme shall be prepared by the School or Centre with the approval of the Authority.

24. Certificate Programme: - (1) The Certificate programme shall consist of sixteen credits to be completed during the duration of the course.

(2) The Admission Process and minimum qualifications for the Certificate Programme shall be decided by the School or Centre with approval of the Authority and published on the official website of the University from time to time.

(3) The curriculum for a Certificate programme shall be prepared by the School or Centre with the approval of the Authority.

25. Duration of Diploma and Certificate Programmes: - All programmes and Courses of Study offered by the University under Diploma or Certificate programmes shall be based on stipulated duration as per the design of the course made in this behalf with the approval of the Authority.

Explanation: - For the removal of doubts it is hereby clarified that a Diploma may be of six to nine months duration and a Certificate course may be of three to six months duration.

26. Required Credits to Qualify: - For the award of a Diploma, a student shall be required to obtain thirty-two credits and for the award of a Certificate, a student shall be required to obtain sixteen credits.

27. Programme Assigned:-After admission to a Diploma or Certificate programme, and at the commencement of each semester, a student shall be required to register for the Courses he intends to study during a given Semester and the student shall not be permitted to change the programme after admission in Diploma or Certificate programme.

28. Admission: - (1) The Admission to a Diploma and Certificate programme shall be made in accordance with the admission notice issued by the University on a year to year basis.

(2) A student shall make formal application as per the criteria laid down in the admission notice as per the nature of the programme.

(3) Minimum attendance requirement of seventy-five percent shall be required to be maintained by the students in all cases.

29. Fee: - (1) The tuition fees and other fees, as applicable to a Diploma or Certificate programme, as the case may be shall be specified on the Admission portal of the University at the commencement of every admission cycle.

(2) The Diploma students shall be entitled to residential accommodation on payment of additional residence and meal charges as laid down by the University in this behalf.

(3) The residential accommodation shall not be provided to the students of a Certificate programme.

30. General: - (1) The Student admitted in a Diploma or Certificate programme shall be governed by the rules of the University as applicable to other programmes.

(2) The courses of Diploma or Certificate programme can be conducted on face to face basis or through online mode.

CHAPTER 5

FULL-TIME AND PART-TIME GLOBAL PH.D. PROGRAMME

31. General: - (1) The duration of the Global Ph.D. Programme shall be four years which shall be divided in eight semesters and minimum time for submission of thesis shall be after the completion of the fourth semester and no further extension of time or additional time or additional semester shall be granted by the University in this regard.

(2) The Global Ph.D. Programme shall be a fully Residential Programme.

(3) The fee shall remain the same for both Full Time and Part-Time Global Ph.D. programmes and shall be specified on the admission portal of the University at the commencement of every admission cycle.

(4) The areas of research shall be as per the objectives and mandates of the University so as to create new knowledge in emerging areas of research or on Indian knowledge traditions.

32. Minimum Eligibility Requirements: - (1) (A) Full-Time Global Ph.D. Programme- The following shall be the minimum eligibility requirements for a Full-Time Global Ph.D. Programme for both Indian and Overseas candidates, namely-

(i) Master's degree with at least 65% marks or equivalent Grade Point Average (GPA) of 6.5 in a 10 point Scale for both national and international students and the Dissertation at Masters' level **or** M.Phil. Degree level shall be desirable;

(ii) subject to fulfilment of (i), a brief Bio Note as self-introduction;

(iii) a Letter of Recommendation/References;

(iv) a Statement of Purpose (should clearly state the reason for opting the Global Ph.D. programme at the University);

(v) subject to the plagiarism check, a detailed Research Proposal;

(vi) the Evidence of minimum two writing samples of research or published papers;

(vii) the overseas candidates shall further be required to submit a language proficiency certificate such as TOEFL (Test of English as a Foreign Language) or IELTS (International English Language Testing System) or any other standard English test:

Provided that the candidates having completed a full time degree level course with medium of instruction in English shall not be required to submit the English proficiency certificate.

(B) Part-Time Global Ph.D. Programme: - (a) The following shall be minimum eligibility requirements for a Part-Time Global Ph.D. Programme for both Indian and Overseas candidates, namely:-

(i) Master's degree with minimum 60% marks or equivalent Grade Point Average (GPA);

(ii) Working professionals to exhibit a minimum of 5 years of work experience.

(iii) The Application for the admission in the programme shall be required to be forwarded through proper channel with a NOC from the employer, if presently employed.

(b) All other requirements as specified in clause (A) in regard to Full-Time Global Ph.D. programme, shall *mutatis mutandis* be applicable in regard to a Part-Time Global Ph.D. Programme:

Provided that the Part-Time Global Ph.D. programme shall not be available to a regular student and the Part-Time Global Ph.D. shall be envisioned only for working professionals or retired persons or any person who has completed the age of forty years and keenly interested in research.

(c) The Authority shall reserve the right to relax any eligibility requirement or criteria so as to admit or invite distinguished persons or persons of repute for admission to the Part-Time Global Ph.D. programme at the University on their expression of interest and also to exempt the residential criteria in such cases.

(d) In case of expression of interest from a person of repute, the Authority may exempt the first semester course work and exam;

Provided that the person shall be required to submit two assignments in lieu of the regular course work or exam duly evaluated by the research supervisor.

(e) The Part-Time Global Ph.D. candidates may submit complete research work by end of the fourth semester and in case of an early submission, the permission of the Authority shall be required in this regard.

33. Criteria for Selection of Scholars for Admission in Global Ph.D. Programme: - (1) Based on the minimum cut-off credits as may be laid down by the University from time to time, the candidates, equivalent to maximum five times the total number of seats, shall be short listed by the University and called for the interview.

(2) The Authority shall have the right to reject or disqualify a candidate based on the merit of the Statement of Purpose (SOP).

(3) Without prejudice to (2), the Authority shall also have a right to reject the application of any of its current or former student, if any instance of violation of code of conduct or any other violation of the rules or terms of the University has been noticed on his part while doing any other course of study or programme at the University.

(4) The Shortlisted candidates shall be called for an interview to be conducted by the School Board on the recommendation of the Admission Committee.

(5) The interview may be conducted through Skype or Telecom or in person, as the case may be.

(6) The Vice Chancellor's nominee shall be part of the interview committee.

(7) An Admission Committee's nominee shall be part of the interview committee.

(8) The maximum enrolment for the Global PhD programme of a School or course shall be based on the number of faculty subject to the condition that the senior faculty shall not have more than four registered candidates at a time and the junior faculty shall not have more than two registered candidates at a time.

(9) The University shall reserve the right to admit or not admit any candidate as per its laid down norms.

34. Fellowship: - (1) The students, both Indian and Overseas, registered for the Full-Time Global Ph.D. programme shall be awarded fellowship as per the laid down norms of the University:

Provided that the students registered for the Part-Time Global Ph.D. programme shall not be entitled to any such fellowship.

(2) All fellowship holders shall have to bear residence and mess charges on their own.

(3) The overseas students may apply for any fellowship through ICCR, BIMSTEC, ASEAN or NU-Bhutan Fellowships, as the case may be, through the University.

35. Credit Requirements for Global Ph.D.:- (1) For successful completion of the research program leading to the award of Global PhD degree, a scholar needs to accumulate a total of 130 Credits in the following manner, namely:

(i) course work: 32 credits (First Semester);

(ii) thesis: 60 Credits;

(iii) publication or presentation in International and National; Conferences or Forums: 08 credits;

(iv) pre-submission Seminar Presentation: 10 credits;

(v) Viva Voce: 20 Credits

(2) A scholar may accumulate additional credits and the transcript shall reflect such additional credits.

36. Computation of Credits for Published Work: - (1) The computation of credits for published work or conference presentations etc. for the Global PhD. Programme shall be made in the following manner, namely:-

(i) One credit for each Paper presented in national seminars or conferences or workshops etc;

(ii) Two credits for each paper presented in international seminars or conferences or workshops;

(iii) Two credits for each paper in approved refereed national journal with ISBN or ISSN Number;

(iv) Four credits for each paper in approved refereed international journal with ISBN or ISSN Number;

(2) Notwithstanding anything contained in (1), the maximum of eight credits shall be awarded for Publication and presentation.

37. Deregistration of Full-Time Global Ph.D. Scholars: - (1) The deregistration of a full-time Global Ph.D. scholar shall be permissible for maximum one semester on the personal grounds during the entire period of the Global Ph.D. programme:

Provided that the deregistration shall be permissible only after successful completion of the course work:

Provided further no deregistration shall be permitted in the eighth semester.

(2) During the deregistration period, scholars shall not be entitled to fellowship or scholarship and hostel accommodation.

38. Residential Requirement: - (1) The Full-time Global Ph.D. scholars shall be required to be in residence for the entire duration of the Global Ph.D. programme and a minimum of 75% of attendance shall be mandatory.

(2) The admission of the scholar shall be cancelled if found engaged in any work or employment or violation of any rules of the University or for involvement in any activities on media including social media or for indulging in any act that goes against the interest of the University.

39. Supervisor and Co-Supervisor:- (1) The School Board concerned shall appoint the Supervisor for each scholar with the approval of the Authority.

(2) The Supervisor may be chosen from among the members of the Department or Centre or School or institutions within the country or overseas in the relevant domain.

(3) The national or international faculty list as empanelled periodically shall be submitted by the Schools to the Authority for approval of external supervisor.

(4) A written concurrence from the external faculty in his agreement to be considered as External Supervisor shall be mandatory.

(5) The external supervisor shall be paid a suitable remuneration as per the approval of the Authority.

(6) In cases, the supervisor is external, Indian or Overseas, as the case may be, the co-supervisor shall be from the Schools.

(7) A maximum two co-supervisors may be appointed from the relevant interdisciplinary Department or Centre or School or from another University nationally or overseas, if so required, with the approval of the Authority.

40. Advisory Committee: - The Advisory Committee shall comprise of the following members, namely-

(i) supervisor;

(ii) an International Advisor (Faculty);

(iii) an external member within the country preferably as subject expert, and;

(iv) an interdisciplinary faculty within the University.

41. Credit Structure of the Course Work: - The Global Ph.D. research work shall consist of the following two parts, namely:

(A) Part 1- (i). Under this part taught courses shall be done as course work, which shall spread over the first semester and the total credit shall be 32 out of which one shall be a compulsory taught course on research methodology and two courses on advance research on specific areas as determined by the School and one seminar as mentioned below:

(a) one compulsory taught course on Research Methodology (10 credits);

(b) two taught courses on advance research on specific areas as determined by the School (16 credits: 8+8);

(c) One Seminar (4 credits);

(d) Term Paper (2 credits).

(ii) The first semester shall end with an end semester written examination.

(iii) For the second semester, the course work evaluation shall be based on term papers submission in each course to the course instructor and all course-work and term papers must be completed before the end of the second semester.

(iv) All term papers shall be evaluated by the course instructor and an internal examiner as may be decided with the approval of the Authority. The internal examiner as approved will also evaluate the term papers.

(v) It will be the responsibility of the School to identify unexplored or emerging new areas of research in different domains of the School keeping with the mandate of the University for the Ph.D. thesis.

(vi) The Dean with the approval of the Authority may alter the topic of Ph.D. research.

(vii) In addition to the four courses in the first semester, the scholar shall submit a detailed research proposal at the end of the second semester along with the term papers.

(viii) (a) During the second semester, the scholar shall prepare a detailed proposal and submit the same to the Dean.

(b) The proposal should reflect a hypothesis, research plan, bibliography, and a detailed chapterised research proposal along with the overview of existing literature in the field.

(c) The scholar shall make an open presentation of his research proposal at the end of the second semester before submitting the proposal.

(d) The Dean or Ph.D. Advisory Committee, as the case may be, shall formally permit the scholar to commence writing the thesis on acceptance of the proposal.

(e) The entire process under this clause to be completed by the end of the second semester.

(ix) If the proposal is not recommended, the scholar shall be given one month to revise and resubmit the proposal.

(x) (i) The Supervisor shall be allocated by the School after the approval of the Authority by the end of the second semester.

(B) Part 2- (1) This part of the Global Ph.D. programme shall comprise of the writing of the thesis and submission of the same on completion of the specified period as referred to in ordinance 31.

(2) The scholars shall be required to register their attendance in the Schools and the fellowship entitlement shall be subject to seventy-five percent of attendance.

(3) The periodic progress reports shall be required to be submitted by the scholars to their respective supervisors.

42. Progress Report: - (1) All scholars enrolled in a Global Ph.D. Programme at the University shall be required to maintain a satisfactory standard of progress during the entire period.

(2) All scholars shall be required to mark his attendance by sign in the attendance register or through bio-metric system, as the case may be, during the entire period.

(3) Every scholar shall submit a quarterly progress report endorsed by the supervisor to the Ph.D. Advisory Committee, during the entire period of active registration.

(4) (i) The Ph.D. Advisory Committee along with the supervisor, while guiding and encouraging the research scholar, shall scrutinize the progress report to ensure satisfactory progress made by the scholar.

(ii) If the reports are satisfactory, the Chairpersons of the Board of Studies concerned shall forward them through the School Board concerned to the Controller of Examinations.

(iii) If the Committee feels that the progress is not satisfactory, it shall be conveyed to the scholar in writing.

(iv)Two consecutive non-satisfactory reports shall result in the immediate and automatic withholding or cancellation of fellowship, and implementation of other punitive measures including the cancellation of registration, as recommended by the Board of Studies and the School Board.

43. Scheme of Evaluation: - The evaluation of courses shall be done on the 10 point grading scale in accordance with these Ordinances.

44. Leave Provision: - A full time Global Ph.D. scholar shall be entitled to leave on Casual or Medical Grounds for a maximum of seven days in a semester.

45. Field Work: - (i) The leave for the field work to the maximum of one week in a semester shall be granted to a full time Global Ph.D. scholar depending on the research work and a detailed proposal of the field work shall be submitted by the scholar with the recommendation of the Dean for the approval of the Authority in this regard.

(ii) The report on the field work shall be submitted by the scholar on completion of the field work.

46. Recognition and Allotment of Supervisor: - (1) Depending upon the seniority and experience of the faculty members, a minimum number of scholars for supervision shall be specified with approval of the Authority from time to time.

(2) A minimum five national or international major publications in peer-reviewed journals shall be the requirement for being eligible for such supervision by a faculty.

(3) In case a faculty member, who is a supervisor, ceases to be on rolls of the University due to cessation of term, resignation, dismissal and death etc. the Dean of the School, on the recommendations of the Ph.D. Advisory Committee, shall allot the scholars assigned to that faculty member to another supervisor with approval of the Authority.

(4) (i) In case a faculty member, who is a supervisor, retires, he may continue to guide the allotted scholars to him till completion of their work provided that they have completed their coursework.

(ii) Faculty members who are due to retire shall not be allotted any new scholars one year prior to the date of the retirement.

(5) (i) No faculty will have more than four scholars at any given point of time so as to maintain the research quality and output.

(ii) Co-supervisors shall be from any International University or any Institute within India along with an interdisciplinary faculty within the University.

47. Thesis Submission Requirements: - (1) All scholars shall give a Pre-Submission Seminar to be attended by all the members of the Board of Research Studies and any other scholar or student of the University, three months before submitting the thesis or at the end of the seventh semester, as the case may be, and the suggestions made at the Seminar may be incorporated in the thesis before submission.

(2) All supervisors shall be required to submit a certificate stating that there is no plagiarism in the thesis.

48. Anti-plagiarism:- (1) Plagiarism in any form shall not be acceptable by the University so as to ensure quality of research with a fair assessment of scholars' efforts.

Explanation- For the purposes of these ordinances, the expression 'Plagiarism' means submitting as one's own work, irrespective of intent to deceive, such works, which derives in part or in its entirety from the work of others without due acknowledgement.

(2) The following shall be treated as plagiarism, namely:

(i) turning in someone else's work as own

(ii) copying words or ideas from someone else without giving credit

(iii) cutting and pasting from the Internet

(iv) failing to put a quotation in quotation marks

(v) giving incorrect information about the source of a quotation

(vi) paraphrasing by changing a few words but copying the sentence structure of a source without giving credit

(vii) submitting work for assessment that has already been submitted (partially or in full) to fulfil the requirements of another degree course or examination

(viii) copying media, especially images, from other websites to paste them into own papers or websites.

(3) (i) The Term papers for courses, project reports, and research proposals submitted for evaluation shall be run through the specified anti-plagiarism software after submission and where any plagiarism is detected above 5 percent, a 'F' grade shall be awarded, with a strict warning and mandatory resubmission within fifteen days.

(ii) Where plagiarism is detected even after revision and resubmission, the University shall cancel the student's admission.

(4) Before formal submission of thesis for evaluation, the thesis shall be checked by anti-plagiarism software by the supervisor concerned and if any text strings or figures are found to be copied or used without proper acknowledgement of the source, the thesis shall be required to be thoroughly revised and checked again by the software.

(5) The percentage of similarity in the thesis shall not exceed two percent, in any case.

(6) Where a thesis is rejected on the grounds of plagiarism by an external examiner, and the charges are found to be true by any Committee constituted for this purpose, the thesis shall be rejected and admission to the programme shall automatically stand cancelled along with suitable penal measures for the Supervisor.

49. Thesis Evaluation: - (1) The request for final approval of the title of the thesis shall be along with the pre-submission seminar at least three months before the submission of the thesis.

(2) The title of the thesis shall be approved by the Ph.D. Advisory Committee on the recommendation of the supervisor.

(3) Where the thesis is ready for submission, the application for the award of the Degree shall be submitted by the scholar to the Dean of the School along with-

(i) Five hard copies, including one for the Supervisor, of the thesis along with a soft copy thereof;

(ii) Six copies of the title page, abstract and the table of contents of the thesis along with a soft copy thereof;

(iii) A certificate from the scholar and countersigned by the Supervisor and Dean of the School to the effect that the thesis embodies the original research work done by the scholar during the period of study and that the thesis is acceptable in all respects and that it be considered for the award of the degree;

(iv) Two passport size photographs of the scholar;

(v) No Dues Certificate to be obtained by the scholar from different departments and sections of the University stating that there are no outstanding dues against the scholar;

(vi) A copyright declaration by the scholar allowing digital use of it for academic purposes by the University; and

(vii) An anti-plagiarism undertaking by the scholar.

(4) (i) The thesis shall be typed on one side of A4 size paper.

(ii) It shall be in1.5 space and in Times New Roman font (12pt) and the margin on the left shall be 3.5 cm and 2.5 cm on the other three sides.

(5) The normal upper limit is around 500 pages for a PhD thesis, excluding appendices and other supplementary material.

(6) The thesis shall have a title page, abstract, table of contents, bibliography and an index.

(7) The hard copy of the thesis along with digitised version shall be in the library with the details of the scholar and supervisor.

(8) (i) Every PhD thesis submitted shall be evaluated by three external examiners out of which one shall be international faculty selected by the Authority from a panel of six names as submitted by the Supervisor and recommended by the Dean of the School concerned.

(ii)The Supervisor shall not be an examiner for the thesis submitted by his own scholar.

(9) The examiners of each Ph.D. thesis shall indicate clearly whether the external examiner recommends the thesis for viva-voce examination and the recommendation shall in all cases be accompanied by a detailed report and the reports of the external examiners shall be kept strictly confidential.

(10) When the confidential reports of the examiners are received by the Controller of Examinations, he shall place them before the Chairperson of the Board of School of Studies and Viva Voce is fixed on the recommendation of the Chairperson.

(11) The Viva –Voce shall be an open examination where concerned supervisor, Dean of the School and Chairperson of the Board of School of Studies, and nominee of the Vice Chancellor shall be present.

(12) The degree of Global Ph.D. shall be awarded only:

(a) on the recommendation for the award by the examiners and

(b) on successful completion of the Viva Voce Examination where external experts may be present.

(13) The Viva Voce Examination shall be held within two weeks of the receipt of the reports from the external examiners recommending the award of the degree.

(14) Out of three examiners, if two examiners recommend the award of degree, Viva Voce Examination shall be held.

(15) The External examiners may recommend for the revision of the thesis for which additional two months time can be given.

(16) On completion of the Viva Voce Examination, the Dean of the School or Chairperson of the Board of School of Studies, shall submit a report to the Authority for award of Global Ph.D. and the same shall be notified.

CHAPTER 6

POST-DOCTORAL FELLOWSHIP

50. General:- The University shall institute a scheme of post-doctoral fellowships to promote research at post-doctoral level in the domain as per the objectives of the University and other areas of higher learning vital for improving the quality of life and also to enhance research for greater interaction between Asian countries, particularly between East Asia.

51. Eligibility: - (1) A person who has a Ph.D. degree with published research work of minimum of five research publications to their credit may apply for the position of Post-Doctoral Fellow at the University.

(2) The Post-Doctoral Fellowships shall be available to Indian as well as Foreign Nationals.

(3) The University reserves the right to admit or not to admit any person in the Post-Doctoral Fellow and where the name of the applicant appears in any inquiry or disciplinary measure, his application shall not be considered by the University.

(4) The Post-doctoral fellow may be given residential accommodation as per the approval of the Authority.

52. Selection: - (1) The selection of the Post-Doctoral Fellow shall be made on the basis of the research area on the recommendations of a Selection Committee constituted by the Authority.

(2) The Dean (Research) or Dean of the School, as the case may be, shall make recommendation for selection on the basis of a detailed research proposal apart from the *curriculum vitae*, list of publications and recommendations of the referee etc. submitted by an applicant, based on an interview and presentation of the applicants;

Provided that the foreign applicants are exempted from appearing personally before the Selection Committee.

(3) The Authority shall decide the maximum number of post-doctoral fellows to be admitted and the maximum number of fellows a faculty may mentor at a given point of time.

53. Duration:- (1) A post-doctoral fellow will be entitled for the post-doctoral fellowship for a minimum of one semester or two semesters and any extension shall be based on the research accomplished by the post-doctoral fellow as per the said tenure.

(2) A post-doctoral fellow may be assigned teaching assistance-ship.

(3) A post-doctoral fellow may discontinue and leave the University with prior approval of the Authority by citing adequate reason and cause.

54. Progress Reports:- (1) The post-doctoral fellow shall be required to present and submit a comprehensive progress report at the end of each semester, through the supervisor or mentor and the Dean of the School or Centre he is attached to.

(2) The Authority may terminate a Post-Doctoral Fellow at any time on the basis of a report from the Dean of the School.

55. Work Assignments:- (1) The post-doctoral fellow shall be attached to the Centre or School and devote himself to full time research in the area approved by the School or Centre concerned.

(2) The post-doctoral fellow shall not accept or hold any appointment, paid or otherwise or receive any emoluments, salary, stipend, consultancy etc., from any other sources during the tenure of the fellowship.

(3) The Dean of the School or Centre may assign any other academic responsibilities to a Fellow as and when required.

56. Leave:- (1) A post-doctoral fellow may be granted leave on casual or medical ground for a maximum period of seven days in a semester.

(2) The post-doctoral fellow may attend a seminar or conference as approved by the Dean of the School or Coordinator of the Centre.

(3) An application for seeking leave shall be submitted by the post-doctoral fellow through the supervisor or mentor and the Dean of the School for the approval of the Authority.

CHAPTER 7

EVALUATION AND GRADE

57. Evaluation:- (1) One credit is equivalent to hundred marks.

(2) At least 50 percent of the student evaluation in each course shall be based on a formal end-semester examination which shall primarily be a sit-in written test, with or without a viva-voce component, with or without an external evaluator.

(3) The scheme for the other 50 percent evaluation includes 20 percent evaluation through a formal mid-term written test and 20 percent through an assignment or project and 10 percent through continuous assessment.

(4) The students shall have only one opportunity to improve their grades and the students who could not pass in a course shall be allowed to take a supplementary exam within two months of declaration of result as a one time measure.

(5) The University shall follow a zero-tolerance policy towards plagiarism and other examination malpractices.

(6) Any violation of rules shall not entitle the students to take the exams.

58. Grading System: - (1) The minimum credit in regard to a course shall be laid down by the University at the beginning of a semester.

(2) After compiling the marks for all the evaluations, the final grades shall be awarded as per the grading system.

(3) For the purpose of converting marks into corresponding Grade Point, the marks shall always be rounded off to the nearest integer.

(4) The compilation of grades or credits from other schools as per Cafeteria model shall be done in coordination of the faculty or School concerned and the same procedure shall be followed by all Schools for grading system.

(5) A student's work shall be considered "Failed", if he has not fulfilled all the requirements of the course.

(6) Where a student takes the mid semester exam and continuous assessment but fails to appear for the End Semester Exam, he will be considered as Failed.

(7) A student shall be entitled to extra credit as per the courses undertaken under cafeteria model.

(8) The grading system shall be done as per the following table 3, namely:

Table-3
(GRADING SYSTEM)

Mark (%)	Letter Grade	Grade Point Average (GPA)	Remarks
91-100	A+	10	Excellent
81-90	A	9	Very Good
71-80	B	8	Good
61-70	C	7	High Average
51-60	D	6	Average
40-50	E	5	Below Average
< 40	F	0	Fail
-	I	-	*Incomplete

*Where the student has not completed the course, such a student is not entitled to any degree from the University.

Percentage Marks = CGPA X 10

59. Grade Improvement: - Where the School permits, a student who secures a grade higher than 'F' in a course may be allowed to improve his or her grade within 2 months of declaration of result:

Provided that the higher grade will be considered for CGPA/SGPA Calculation.

60. Grade Point Requirement or Minimum Standard: (1) A student who could not have passed fifty per cent of courses registered for in the previous semester shall not be permitted to register for a new semester.

(2) A student who secured a minimum Final Grade Point Average of less than 5 shall not qualify for the award of the degree.

61. Removal of the Name of a Student from a Programme:- (1) The name of a student may automatically be removed from the rolls of the University if the students fails to fulfil the specified CGPA requirements or has exhausted the supplementary rule of one time exam.

(2) No student shall be eligible to register for any programme or course of study at University if he or she has already registered for any other full-time programme at the University or any other University.

62. Examinations:- (1) All examinations for various academic programmes of the University, except for the evaluation of Ph.D. theses, shall be conducted internally.

(2) All examinations shall be conducted under the direction of the Dean with approval of the Authority and follow an examination schedule announced by the University.

(3) No Admit Card shall be given to any student if he fails to fulfil the attendance of 75% or fails to clear to dues.

(4) The Question papers for mid-semester and end-semester examinations, assignment and practical examinations for the evaluation of students enrolled for various credit courses shall be prepared by the faculty teaching the respective courses from within the syllabus announced in the beginning of each semester.

(5) No student shall be permitted to submit the required written papers, dissertations, projects etc. or appear for final semester evaluations unless he or she has furnished clearance certificate from the University along with the receipts for all dues including examination fees, if any.

(6) The Academic Calendar and centralised examination time tables for mid-semester and end-semester examination shall be announced by the University at the beginning of each semester.

(7) After the examination, answers sheets shall be evaluated by the faculty who prepared the question papers and grades shall also be awarded by him:

Provided that the Dean of the School may also request other members of the faculty with relevant expertise to evaluate the answer sheets or conducts oral examinations, in case the need arises.

(8) After the completion of the end-semester examination, the Dean of the School shall have all grades scrutinised by a committee of other members of the faculty constituted for this purpose and the Dean shall submit the final grades to the examination or evaluation or confidential section.

(9) The University shall retain the evaluated answer sheets of students in safe custody for at least three years.

(10) The students who have to reappear in an examination for improving his grade in a course shall seek permission in writing from the Dean of School.

(11) The student shall be eligible to appear in the Semester Examination, if he has a minimum of 75 percent of attendance.

(12) Where a student is not satisfied with the examination result, he may request for a review of the result to the Dean of the School.

(13) The Dean of the School shall submit the marks to the Controller of Examinations (COE)'s Office for declaration of the result.

(14) The COE Office or Examination In-Charge will maintain complete confidentiality.

(15) In extra ordinary situations, the University may review the answer scripts of end-semester examinations but not other continuous assessment parameters with the approval of the Authority.

(16) The request for review or recount of result shall be made within two weeks of declaration of result.

63. Moderation of Results: - (1) In case of any errors in the results, it may be brought to the notice of the Dean of the School or COE for any rectification if necessary.

(2) Where the result has been published and subsequently, it is found that the result has been obtained by fraud or malpractice, the student shall be declared failed and blacklisted and shall not be entitled to any further studies or employment at the University.

CHAPTER 8

DISCIPLINE AND CONDUCT OF STUDENTS

64. Discipline:- (1) All students shall have to adhere to the disciplinary rules and regulations as laid down by the Disciplinary Board or Internal Complaints Committee or any such committee, with the approval of the Authority from time to time.

(2) All powers relating to maintenance of discipline and disciplinary action and regulation of conduct of students in that regard, as vested with the Authority as per the Act, Statutes, Ordinances or regulations, may be delegated by him to the Dean, Chief Proctor or such other person as he may deem fit.

(3) Any violation of the rules or regulations referred to in clause (1) shall amount to act of gross misconduct and indiscipline.

(4) Every student shall be required to sign a declaration or undertaking at the time of admission that on admission he submits himself to the disciplinary jurisdiction of the University and its authorities in accordance with the Act and the rules and regulations framed there under.

65. Misconduct and Indiscipline:- (1) The misconduct and indiscipline shall be of the following categories, namely:-

(i) Category – I:

(a) all acts of violence and all forms of coercion such as gheraos, sit-ins or any variation of the same which disrupt the normal academic and administrative functioning of the University or any act which incites or leads to violence;

(b) Gherao, laying siege or staging demonstration around the residence of any member of the University Community or any other form of coercion, intimidation or disturbance of right to privacy of the residents of the campus; and

(c) Any act of Sexual Harassment.

(ii) Category – II:

(a) Committing forgery, tampering with the Identity Card or University records, impersonation, misusing University property (movable or immovable), documents and records, tearing of pages, defacing, burning or in any way destroying the books, journals, magazines and any print or digital (soft and hard) material of library, laboratory or unauthorized photocopying or possession of library books, journals, magazines or any other material;

(b) Hunger strikes, dharnas, group bargaining and any other form of protest by blocking entrance or exit of any of the academic or administrative complexes or disrupting the movements of any member of the University Community;

(c) Furnishing false or fabricated certificates or documents or false information in any manner to the University;

(d) Any act of moral turpitude;

(e) Eve-teasing or disrespectful behaviour or any misbehaviour with any student, staff member, visitor etc. irrespective of gender;

(f) Arousing communal, anti-national or regional feeling or creating disharmony among students;

(g) Use of abusive, defamatory, derogatory or intimidatory language against any member of University Community or State or Country, through speeches, posters, pamphlets, message, emails, or by any other means;

(h) Pasting of posters or distributing of pamphlets or handbills or use of social media of an objectionable nature or writing on walls and disfiguring buildings;

(i) Causing or colluding in the unauthorized entry of any person into the Campus or in the unauthorized occupation of any portion of the University premises, including halls of residences, by any person;

(j) Unauthorized occupation of the hostel room or unauthorized acquisition and use of University furniture in one's hostel room or elsewhere;

(k) Indulging in acts of gambling or drinking alcohol in the University premises;

(l) Without the permission of the appropriate authority, use of the title of the University or the title of anybody which includes the name of the University when sending any letter or communication to the press or when distributing any document other than academic work outside the University for any purpose;

(m) Consuming or possessing drugs or other intoxicants in the University premises and hall of residence etc;

(n) Damaging or defacing in any form, any property of the university or the property of any member of the University;

(o) Not disclosing one's identity when asked to do so by a faculty member or employee of the University who is authorized to ask for such identity;

(p) Improper behaviour while on tour or excursion;

(q) Ragging in any form;

(r) Non-payment of University and other dues including mess charges;

(s) Accommodating unauthorized guests or other persons in the halls of residence;

(t) Engaging in any attempt at wrongful confinement of any member of the faculty, staff, student or anyone camping inside the campus;

(u) Refusal to obey the direction of officers of the University and the academic staff;

(v) Unauthorised collection of funds for any students programme, project or activity without the permission of University;

(w) Any disrespect to any nation or nationalities as the University is international as per the mandate;

(x) Any other act which may be considered by the Authority to be an act of violation of discipline and conduct.

66. Penalties:- The University may impose any of the following penalties on any student found guilty of any of the acts of indiscipline or misconduct , namely:-

(A) Category – I:

(i) Cancellation of admission or withdrawal of degree or denial of registration for a specified period;

(ii) Rustication up to four semester period and/or declaring any part or the entire Nalanda University campus out of bounds;

(iii) Expulsion.

(B) Category – II:

(i) Admonition/reprimand/written apology;

(ii) Fine up to Rs.25000/- or equivalent US$.

(iii) Recovery of any kind, such as scholarship, fellowship, any dues, cost of damages, etc.

(iv) Withdrawal of any or all facilities available to a student.

(v) Stoppage of any or all academic processes.

(vi) Declaring any Halls of Residences, premise, building or entire NU campus out of bounds.

(vii) Rustication up to two semesters.

(viii) Cancellation of fellowship/scholarship

67. Disciplinary Board and Appeals Committee: - The University may constitute following Boards and Appeals Committee so as to regulate the discipline and conduct of students, namely:

(i) The Disciplinary Board;

(ii) Internal Complaints Committee

(iii) The Appeals Committee (where necessary)

68. Constitution of Disciplinary Board: - The Disciplinary Board shall comprise a chair (Proctor), and three members including one woman member, who shall serve as per the approval of the Authority:

Provided that if Proctor is not in position, the chair and the other members shall be appointed by the Authority from among the members of faculty of the University with suitable experience.

69. Functions of Disciplinary Board: - (1) The function of the Disciplinary Board shall be to maintain discipline, ensure civic sense and politeness and to uphold the objectives and mandates of the University.

(2) The Disciplinary Board shall hear and determine a complaint in accordance with procedure laid down by the University to conduct such disciplinary proceedings.

(3) The Disciplinary Board should dispose of a complaint within one month of the receipt of the complaint in writing.

70. Recommendations of Disciplinary Board:- (1) Where the Disciplinary Board is satisfied that the student member has committed any breach, it may recommend to the Authority to-

(a) Impose a fine of such amount as mentioned in Category II under Ordinance 66;

(b) Order the student to pay compensation to any person for body suffering injury, damage, or loss as a result of the student member's conduct;

(*c*) Declare the student out of bound from premises or facilities for such period or on such terms as deemed fit;

(*d*) Rusticate the student for such period as deemed fit;

(*e*) Expel the student.

(2) The Authority may impose any of the penalties referred to in clause (1) separately or in any combination depending upon the nature of violation.

(3) Where the Disciplinary Board feels that the student has violated any norms unintentionally, it may ask the student to submit a written undertaking for not repeating the same:

Provided that in case the student continues to violate the terms of discipline, he may be penalised as per Category-I or II, as the case may be, referred to in clause (1).

(4) The Disciplinary Board shall keep record of the proceedings.

71. Internal Complaints Committee:- (1) With regard to the complaints related to sexual harassment, an Internal Complaints Committee (ICC) shall be formed under Sexual Harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013) and other guidelines or norms of the Government of India.

72. Appeal: Where the student who is the subject of the disciplinary action is aggrieved by recommendation of the Disciplinary Board, he may apply for permission to appeal to the Appeals Committee.

73. Appeals Committee: (1) The Appeals Committee shall be constituted by the Authority in cases, where an appeal is received in writing against the decision of the Disciplinary Board.

(2) The Appeals Committee shall consist of such members as may be appointed by the Authority.

(3) The Appeals Committee may in the interest of justice and fairness shall sit with no more than two assessors who are members of School.

(4) The assessor or assessors, as the case may be, shall assist and advise the Appeals Committee as necessary and shall not be party to the Appeals Committee's decision.

(5) The function of the Appeals Committee shall be to hear and determine, in accordance with procedure laid down by the University.

74. General:- (1) No penal measures shall ordinarily be imposed on a student unless he is found guilty of the offence for which he has been charged by a proctorial or any other inquiry after following the normal procedure and providing due opportunity to the students charged for the offence to defend himself.

(2) Where the Authority is of the opinion that on the basis of the available material and evidence on record, a *prima facie* case exists against a student, he may order suspension of the student including withdrawal of any or all facilities available to a bona fide student pending proctorial or any other inquiry.

(3) Notwithstanding any of the penal measures mentioned in these ordinances, the Authority may, keeping in view of gravity and nature of misconduct or act of indiscipline, the manner and the circumstances in which the misconduct or indiscipline has been committed, award any of the penal measures in excess of or less than or other than what has been mentioned thereon for reasons to be recorded.

Dr. ANUPAM RAY, Jt. Secy. (PP&R)

[ADVT.-III/4/Exty./501/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.12.09 12:48:18 +05'30'